संस्था की बहिर्नियमावली
एवं
संस्था के अंतर्नियम

(14.02.2020 को आयोजित हुई तीसरी विशेष आम सभा में यथासंशोधित)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

भारत सरकार-कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

नाम परिवर्तन के पश्चात निगमन प्रमाण-पत्र

कारपोरेट पहचान संख्या : U45203UR1988GOI009822

मैसर्स TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

के मामले में, मैं एतदद्वारा सत्यापित करता हूं कि मैसर्स
TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

जो मूलरूप से दिनांक बारह जुलाई उन्नीस सौ अठासी को कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत
TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

के रूप में निगमित की गई थी, ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विधिवत आवश्यक विनिश्चय पारित करके तथा लिखित रूप में यह सूचित करके कि उसे भारत का अनुमोदन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. सा.का.नि.507 (अ) दिनांक 24.6.1985 एस.आर.एन. A72179609 दिनांक 06/11/2009 के द्वारा प्राप्त हो गया है, उक्त कंपनी का नाम आज परिवर्तित रूप में मैसर्स

THDC INDIA LIMITED

हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र, मेरे हस्ताक्षर द्वारा कानपुर में आज दिनांक छह नवम्बर दो हजार नौ को जारी किया जाता है ।

GOVERNMENT OF INDIA – MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttarakhand

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number: U45203UR1988GO 1009822

In the matter of M/s TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

I hereby certify that TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED which was originally incorporated on Twelfth day of July Nineteen Hundred Eighty Eight under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under Section 21 of the Companies Act, 1956, read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No. G.S.R. 507 (E) dated 24/06/1985 vide SRN A72179609 dated 06/11/2009 the name of the said company is this day changed to THDC INDIA LIMITED and this Certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at Kanpur this Sixth day of November Two Thousand Nine.

(SANJAY BOSE)
कंपनी रजिस्ट्रार / Registrar of Companies
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
Uttar Pradesh and Uttarakhand

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पताः
Mailing address as per record available in Registrar of Companies Office:
THDC INDIA LIMITED
BHAGIRATH BHAWAN TOP TERRACE, BHAGIRATHIPURAM,
TEHRI GARHWAL – 249001
Uttarakhand, INDIA

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

प्रारूप आई॰ आर॰

Form I. R.

निगमन का प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE OF INCORPORATION

ता..........................का सं॰..........................

No. 20-09822 of 1988

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आज ....

....

....

कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गयी है और यह कम्पनी परिसीमित है ।

I hereby certify that TEHRI HYDRO DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is limited.

मेरे हस्ताक्षर से आज ता॰ ....को दिया गया ।

Given under my hand at Kanpur this 12th day of July one thousand nine hundred and Eighty Eight

21st Asadha 1909(S.E.)

S. Tayal 12.7.88

(S.P.TAYAL)

कम्पनी रजिस्ट्रार

उ॰ प्र॰ कानपुर

Registrar of companies

U. P. KANPUR

जे॰ एस॰ सी॰–1

J. S. C.-1

R. K. Printers-6-87

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

सूची

संस्था के बहिर्नियम

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
I	कंपनी का नाम	1
II	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	1
III	उद्देश्य	1
	क - प्रमुख उद्देश्य	
1	ऊर्जा के पारम्परिक/गैर-पारम्परिक/नवीकरणीय स्रोतों और नदी घाटी परियोजनाओं का विकास	1
2	सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के अभिकर्ता	1
3	ट्रेडिंग और अन्य व्यापार	1
4	अनुसंधान एवं विकास और परामर्शी सेवाएं	2
5	सहायक कंपनियों का प्रवर्तन, समन्वय और नियंत्रण	2
	ख - अनुषंगी उद्देश्य	
6	सहायक कंपनियों के लिए सहायक एवं सेवाकारी एजेंसी के रूप में कार्य करना	2
7	चार्टर्स, रियायतें आदि प्राप्त करना	2
8	धन उधार लेना	2
9	संपत्तियों का अधिग्रहण करना एवं पट्टे पर लेना	2
10	व्यापार/कंपनियों का अधिग्रहण	2
11	अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकारी आदि प्राप्त करना	3
12	तकनीकी जानकारी प्राप्त करना	3
13	अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण संचालित करना	3
14	तकनीकी संस्थान और हॉस्टल की स्थापना करना	3
15	संपत्ति आदि में सुधार करना	3
16	धन का निवेश करना	3

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
17	संयुक्त उपक्रम शुरू करना	4
18	कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना	4
19	संपत्ति बेचना	4
20	संविदाएं करना	4
21	एजेंसियों आदि की स्थापना करना	4
22	शेयरों के लिए अभिदान करना	5
23	मूल्यह्रास निधि बनाना	5
24	बैंकों आदि में खाते खोलना	5
25	कंपनियों का अधिग्रहण करना	5
26	परामर्शी सेवाएँ संचालित करना	5
27	अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करना	5
28	सुविधाजनक व्यापार करना	5
	ग - अन्य उद्देश्य	
29	उद्योगपति की तरह कार्य करना	5
30	विद्युत परियोजनाओं/ केंद्रों के निर्माण प्रबंधन और/अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण का व्यवसाय करना	5
31	धन उधार देना	6
32	सूचना आदि एकत्रित करना	6
33	भूमि आदि द्वारा कैरियर्स का व्यापार करना	6
34	सहायक कंपनियों द्वारा लेन-देन किए जा रहे सामान में संव्यवहार करना	6
35	सीमित देयता	6
36	अंश पूँजी	6
37	अभिदानकर्ताओं के नाम	7

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

संस्था के अंतर्नियम

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	व्याख्या	8
2	तालिका 'क' लागू नहीं	11
3	कंपनी इन अंतर्नियमों के द्वारा नियंत्रित होगी	11
	पूंजी और शेयर्स	
4	शेयर पूंजी	11
5	शेयरों का आबंटन	11
	प्रमाण पत्र	
6	सदस्य का प्रमाण पत्र का अधिकार	12
7	विरूपित होने, खोने या नष्ट हो जाने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र निर्गत करना	12
	शेयरों/डिबेंचर पर मांग	
7क	शेयरों/डिबेंचर पर मांग	13
7ख	जब भुगतान की जाने वाली मांग पर ब्याज देय हो	13
7ग	मांग का भुगतान अग्रिम रूप से किया गया हो	14
	लियन	
7घ	सभी शेयरों या डिबेंचर पर कंपनी लियन	14
	जब्ती	
7ड़	शेयरों /डिबेंचर की जब्ती	15
7च	जब्ती का प्रभाव	16
7छ	जब्ती की घोषणा एवं अन्य प्रावधान	16
7ज	शेयरों /डिबेंचर अभ्यर्पण	17
	पंजीकरण एवं सूची	
7झ	सदस्यों/डिबेंचर धारकों का पंजीकरण एवं सूची	17

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	शेयरों का अंतरण एवं हस्तांतरण	
8	शेयरों का अंतरण एवं हस्तांतरण	17
9	अंतरण का पंजीकरण	18
10	अंतरण का निष्पादन	18
10क	नामांकन	18
10ख	नामित द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण	19
11	शेयरों का हस्तांतरण	20
	प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में रखना	
11क	उधार लेने की शक्ति	20
11ख	निवेशक के लिए विकल्प	21
11ग	डिपोजिटरी में प्रतिभूतियां प्रतिस्थापित रूप में रखना	21
11घ	डिपोजिटरी एवं लाभाग्राही मालिकों के अधिकार	21
11ड़.	दस्तावेजों की तामील	22
11च	डीमेट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण एवं हस्तांतरण	22
11छ	किसी डिपोजिटरी के भीतर प्रतिभूतियों के आबंटन का बंटवारा	22
11ज	किसी डिपोजिटरी में प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या	22
	पूँजी में वृद्धि, कमी और परिवर्तन	
12	पूँजी की वृद्धि	22
12क	डिबेंचर जारी किए जाने के निबंधन	22
13	किस शर्त पर नए शेयर जारी किए जा सकते हैं	23
13क	शेयरों का आगे जारी किया जाना	23
14	वर्तमान सदस्यों को शेयर कब दिए जाते हैं	24
15	नए शेयर मूल पूंजी के समान हैं	24
16	पूंजी की घटोत्तरी आदि	24
17	शेयर का उप-विभाजन और समेकन	24
	ऋण लेने की शक्ति	
18	ऋण लेने की शक्ति	25
19	विशेष छूट आदि या विशेषाधिकार के साथ जारी करना	25

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
20	आम बैठकों की सूचना	25
21	नोटिस देने में चूक पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती	25
22	गणपूर्ति (कोरम)	25
23	आम बैठक का अध्यक्ष	25
24	अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम	25
	सदस्यों के मत	
25	मत	26
26	मृतक सदस्य के शेयरों के संबंध में मत	26
27	प्रॉक्सी का प्रपत्र	26
28	पंजीकृत धारकों के अलावा कंपनी शेयरों में किसी अन्य के हित को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं	27
	निदेशक मंडल	
29	कंपनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल द्वारा	27
30	निदेशकों की संख्या	27
31	निदेशकों की नियुक्ति	27
32	वैकल्पिक निदेशक	28
33	शक्तियों का प्रत्यायोजन	28
33क	मिनी रत्न/नवरत्न कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों के अध्यधीन शक्तियां	28
34	अध्यक्ष की शक्तियां	29
35-36	निर्देश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां	30
37	निदेशक/अधिकारी कंपनी द्वारा पदोन्नत कंपनी के निदेशक हो सकते हैं	31
38	नोटिस देने में चूक	31
39	मंडल की बैठक में प्रश्नों पर निर्णय कैसे होता है	31
40	मंडल की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है	31
40क	निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम	31
41	मंडल समितियां स्थापित कर सकता है	31
42	समितियों की बैठकें किस प्रकार नियंत्रित होती हैं	32
43	समितियों की बैठक के अध्यक्ष	32
44	मंडल की सामान्य शक्तियां	32
45	निदेशकों को दी गई विशिष्ट शक्तियां	32

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	मुहर	
46	मुहर और इसकी अभिरक्षा	35
	लाभों और लाभांश का विभाजन	
47	लाभों का विभाजन	35
47क	भुगतान न किया गया और दावा न किया गया लाभांश	36
48	कंपनी आम बैठक में कोई लाभांश घोषित कर सकती है	37
49	अंतरिम लाभांश	37
	लेखा	
50	सदस्यों द्वारा कंपनी के लेखों और बहियों का रखरखाव और निरीक्षण	37
	लेखा परीक्षण	
51	लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा होनी है	37
52	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति	38
53	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां	38
54	लेखा परीक्षकों का बैठकों में भाग लेने का अधिकार	38
55	जब लेखा अंततः व्यवस्थित माना जाता है	38
	सूचना पत्र	
56	सदस्यों की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयरों को अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस	39
	समापन	
57	आस्तियों का वितरण	39
	गोपनीयता	
58	गोपनीयता खंड	39
	क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व	
59	निदेशकों एवं अन्य को क्षतिपूर्ति का अधिकार	40
60	अन्यों के कृत्यों के लिए अधिकारी उत्तरदायी नहीं	40
60क	शेयरों की वापिस खरीद	41

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

खंड सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	नई परियोजनाएं और निवेश में हिस्सेदारी	
61	(क) नई परियोजना	41
	(ख) निवेश में हिस्सेदारी	41
62	लाभ	
	(क) टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लैक्स	42
	(ख) अन्य परियोजनाएं	42

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

की

बहिर्नियमावली

कंपनी का नाम	I.	कंपनी का नाम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड है।
पंजीकृत कार्यालय	II.	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई टिहरी टाउन या उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य किसी स्थान पर होगा, जो कंपनी द्वारा तय किया जाए।
उद्देश्य	III.	कंपनी की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
मुख्य उद्देश्य	क	कंपनी के गठन पर इसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मुख्य उद्देश्यः
ऊर्जा के पारम्परिक/गैर-पारम्परिक/नवीकरणीय स्रोतों और नदी घाटी परियोजनाओं का विकास	1.	भारत और विदेश में ऊर्जा के पारम्परिक/गैर-पारम्परिक/ नवीकरणीय स्रोतों और नदी घाटी परियोजनाओं की योजना बनाना, संवर्धन करना और एकीकृत और प्रभावी विकास करना जिसमें योजना निर्माण, अन्वेषण, अनुसंधान, डिजाइन और प्रारंभिक कार्य, व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ऐसे विद्युत केंद्रों और परियोजनाओं का निर्माण (परिणामी पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और पुनर्वास कार्य सहित) करना, विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण शामिल हैं।
सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के अभिकर्ता	2.	उपरोक्त खंड 1 (क) में सूचीबद्ध किन्हीं गतिविधियों और किसी भी अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में जुटी किसी कंपनी के द्वारा प्रयोज्यनीय सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।
ट्रेडिंग और अन्य व्यापार	3.	भारत और विदेश में पारेषण लाइनों सहित सभी प्रकार के विद्युत संयंत्रों और केंद्रों का प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन करने के लिए विद्युत और अनुषंगी गतिविधियों में क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, व्यापार या अन्यथा व्यवहार करना।
अनुसंधान एवं विकास और परामर्शी सेवाएं	4.	विद्युत उत्पादन, विद्युत आपूर्ति, ट्रेडिंग, विद्युत संरक्षण और कंपनी की अन्य संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और संगठित करना या परामर्श सेवाएं संचालित करना।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

सहायक कंपनियों का प्रोत्साहन, समन्वय और नियंत्रण	5.	किसी कंपनी, सहायक कंपनी के प्रोत्साहन, निर्माण एवं पंजीकरण में उसे प्रोत्साहित करने, निर्माण करने और पंजीकृत कराने और आर्थिक सहायता करने में मदद करना और उनके आर्थिक और वित्तीय उद्देश्यों /लक्ष्यों के निर्धारण में उनकी गतिविधियों में समन्वय करना और उनके उपयोग में रखे गए सभी संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से उनके प्रदर्शन की समीक्षा, नियंत्रण, मार्गदर्शन और निर्देशन करना।

ख. प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या अनुषंगी उद्देश्य

सहायक कंपनियों के लिए सहायक और सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करना	6.	इसकी सहायक कंपनियों और अन्य संबंधित संगठनों के लिए जो वांछित हो सकती हैं ऐसी सुविधाओं, संसाधनों, आगतों और सेवाओं की व्यवस्था करना, सुरक्षित करना और उपलब्ध कराना।
अधिकार-पत्रों (चार्टर्स), छूट आदि को प्राप्त करना	7.	कंपनी अथवा इसके सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा करने के प्रयोजन से भारत सरकार के साथ या किसी भी अन्य सरकार या राज्य या किसी भी स्थानीय या राज्य सरकार के साथ या अधिकारियों, सर्वोच्च, राष्ट्रीय, स्थानीय नगरपालिका या अन्यथा के साथ या किसी भी फर्म या व्यक्ति के साथ सहमति पर पहुँचना और ऐसी किसी भी सरकार, राज्य प्राधिकारी या व्यक्ति से कोई भी अधिकार-पत्र (चार्टर), सब्सिडी, ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान, अनुबंध, फरमान, अधिकार, स्वीकृतियाँ, विशेषाधिकार, अनुज्ञप्तियाँ या जो भी रियायतें हों (चाहे सांविधिक हों या अन्यथा) को प्राप्त करना जो इन्हें प्राप्त करना और इनका उपयोग और पालन करना कंपनी को वांछनीय लगता है।
धन उधार लेना	8.	कंपनी के कारोबार के वित्त पोषण के प्रयोजन से प्रतिभूति या बंधक या उपक्रम पर प्रभारित अन्य प्रतिभूति या कंपनी की अनमाँगी पूंजी सहित सभी या किसी भी संपत्तियों के सहित या रहित धन उधार लेना या धन प्राप्त करना या जमा करना तथा ऐसी किसी भी प्रतिभूति को बढ़ाना, घटाना या भुगतान करना।
संपत्ति का अधिग्रहण करना और पट्टे पर लेना	9.	भारत या विश्व या किसी रियासत के किसी हिस्से में स्थित कारखानों, निर्माणशालाओं, भवनों और सभी प्रकार की सुविधायुक्त अवसंरचनाओं, भूमि, इमारतों, अपार्टमेंट, संयंत्र, मशीनरी और किसी भी अवधि या विवरण की भू-संपत्ति का क्रय, पट्टा, अदला-बदली, किराया या किसी और तरीके से अधिग्रहण करना या निर्माण करना और अनुरक्षण करना या ऐसी संपत्ति एवं उसके साथ जुड़े किंही अधिकारों में रूचि दिखाना एवं कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से कंपनी के लिए उचित, आवश्यक, अथवा सुविधानुसार खातों में परिवर्तित करना।
व्यापार/कंपनियों का अधिग्रहण	10.	किसी भी व्यक्ति, फर्म, समाज, संघ, निगम या कंपनी के ऐसे व्यवसाय, आस्तियों, संपत्ति, साख, अधिकारों और दायित्वों का पूर्णतः अथवा आंशिक अधिग्रहण करना, अधिकार लेना शुरू करना, जिसे करने के लिए कंपनी अधिकृत है।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकार आदि प्राप्त करना	11.	कंपनी के किसी भी उद्देश्य अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन जो समीचीन लगता है, को करने या विस्तारित करने के लिए शक्तियों, अधिकारों, सुरक्षा, वित्तीय और अन्य मदद जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु भारत में या विश्व के किसी भी अन्य भाग में विधानमंडल का आदेश या अधिनियम अथवा प्राधिकरण का अधिनियम प्राप्त करना, इसके लिए आवेदन करना या इसे जारी करवाने के लिए प्रबन्ध करना और ऐसी कार्यवाहियों या आवेदन या अन्य प्रयासों, कदमों या उपायों का विरोध करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के हितों को पूर्वाग्रहित करने के लिए गणना किए गए प्रतीत होते हैं ।
तकनीकी जानकारी का अधिग्रहण करना	12.	किसी ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, ब्रीवेट या आविष्कारों, अनुज्ञप्तियाँ, रियायतों और इसी प्रकार के अन्य किसी रहस्य या किसी आविष्कार, जो कंपनी के किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने लायक प्रतीत होता हो, के अनन्य या गैर अनन्य या सीमित अधिकार प्रदान करने या जिसका अधिग्रहण कंपनी के हित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुविचारित किया गया हो, के लिए आवेदन करना, क्रय करना या अन्यथा अधिग्रहण करना और इस प्रकार के अधिग्रहीत या अन्यथा कंपनी के खाते में परिवर्तित संपत्ति, अधिकार या सूचना का उपयोग करना, व्यवहार में लाना, विकास करना या अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण शुरू करना	13.	वैज्ञानिक, तकनीकी, या अनुसंधान प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं की स्थापना करना, उपलब्ध कराना, अनुरक्षण करना और आयोजित करना अथवा अन्यथा सब्सिडाइज करना और सभी प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षणों को प्रत्यक्ष या अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग से करना और किसी भी प्रकार के अध्ययन, अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधानों, और आविष्कारों, जिन्हें प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन या अन्य व्यवसाय जिन्हें करने के लिए कंपनी अधिकृत है, में सहायता, प्रोत्साहन और उन्नयन में त्वरित प्रगति करने वाला माना जा सकता है, को हर तरह से प्रोन्नत, प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने हेतु नए उत्पादों और उनके उत्पादन का प्रसंस्करण करना, सुधारना और आविष्कार करना।
तकनीकी संस्थानों और हॉस्टलों की स्थापना करना	14.	भारत या विश्व के किसी भी भाग में सभी प्रकार के इंजीनियरों और अन्य सभी प्रकार के तकनीकी स्टाफ और कारीगरों और मैकेनिक्स और लेखाकारों और अन्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन करना; सभी श्रेणियों के अधिकारियों, कामगारों, लिपिकों, स्टोरकीपरों और अन्य कर्मियों, जिनके किसी भी ऐसे व्यवसाय जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है, में उपयोगी या सहायक होने की संभावना हो, के लिए प्रशिक्षण जो समीचीन हो, की ऐसी व्यवस्था करना ।
संपत्ति आदि में सुधार करना	15.	कंपनी के किसी भी अधिकारों अथवा संपत्ति का विक्रय, सुधार, प्रबंध, विकास करना, विनिमय, ऋण या पट्टे या किराए, उप-पट्टे, बंधक पर देना, निपटाना, किसी भी रूप में सौदा करना, खाते में डालना या अन्यथा व्यवहार करना।
धन निवेश करना	16.	कोष एकत्रित करना, कंपनी के पास या उससें संबंधित धन जिसकी तुरन्त आवश्यकता न हो, को शेयरों, प्रतिभूतियों,या अन्य निवेशों जो कोई भी हो, ऐसी मदों पर चाहे चल हो अचल जैसा उचित समझा जाए, की खरीद या अधिग्रहण में नियोजित करना और ऐसे सभी या किसी भी निवेशों को समय-समय पर उस तरह से परिवर्तित करना जैसा कंपनी उचित समझे।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

संयुक्त उपक्रम शुरू करना	17.	(किसी भी व्यवसाय या लेनदेन जिसे करने के लिए कंपनी प्राधिकृत है या करने में व्यस्त है या प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से कंपनी के लिए लाभदायक उद्यम या लेनदेन जो किए जाने में सक्षम प्रतीत होता है, को कर रहे या उसमें व्यस्त या करने या उसमें व्यस्त होने जा रहे किसी भी व्यक्ति या कंपनी के साथ संयुक्त कार्य, लाभ में साझा या पूलिंग, समामेलन, हितों का संयोजन, सहयोग, संयुक्त उपक्रम, प्रौद्योगिकी संयुक्त उपक्रम/कूटनीतिक गठबंधन, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी (नो-हाउ), विलय और अधिग्रहण (सरकार के दिशा निर्देशों के अध्यधीन) साझेदारी या व्यवस्था, पारस्परिक रियायत या अन्यथा या समामेलन करना) ।
कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना	18.	(i) कंपनी द्वारा नियुक्त या पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों और उनकी पत्नियों, परिवारों और ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या संबंधितों के लिए भवनों या गृह निर्माण या निर्माण में योगदान या धन के अनुदान, पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य भुगतानों द्वारा या समय-समय पर भविष्य निधि और अन्य संगठनों, संस्थाओं, कोषों, न्यास के निर्माण अथवा सदस्यता द्वारा नियोजित व्यक्तियों के जीवन का बीमा प्रभावी कर या प्रीमियम या अन्यथा के भुगतान के लिए योगदान द्वारा और शिक्षण और मनोरंजन चिकित्सालयों, औषधालयों, चिकित्सकीय और अन्य उपस्थिति, जैसा कंपनी उचित समझे, के लिए प्रावधान या अभिदान या अंशदान द्वारा उन्नयन और कल्याण करना।
संपत्ति बेचना	19.	कंपनी के उपक्रम या इसके किसी अंश की ऐसी राशि जो कंपनी ठीक समझे, विशेषकर किसी अन्य संघ, निगम, या कंपनी, के शेयरों और ऋण पत्र (डिबेंचर्स), या प्रतिभूतियों के लिए बेचना या निपटाना, किसी भी कंपनी की सभी या किसी भी सम्पत्ति, अधिकारों, देयताओं या अन्य किसी भी प्रयोजन, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के हित के लिए सुविचारित हो, को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी या साझेदारी को प्रवर्तित करना या सहायता करना।
अनुबंध करना	20 (क)	कंपनी के किसी भी या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विदेशी व्यक्तियों, कंपनियों या अन्य संगठनों के साथ उपकरणों के क्रय और तकनीकी, वित्तीय या किसी अन्य सहायता के लिए समझौते करना ।
	(ख)	सरकारी प्राधिकरणों (नगरपालिका, स्थानीय, या अन्यथा) या निगमों, कंपनियों, फर्म या व्यक्तियों, जो कंपनी के उद्देश्यों के लिए अनुकूल लगते हो, के साथ समझौता करना, और ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारियों, निगमों, कंपनियों या व्यक्तियों से अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें जो कंपनी को वांछनीय लगती हों, प्राप्त करना और ऐसे अनुबंध, अधिकार, विशेषाधिकार और रियायत को व्यवहार में लाना और अनुपालन करना ।
	(ग)	क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध करना ।
एजेंसियों आदि की स्थापना करना	21.	एजेंसियों, शाखाओं, स्थानों और स्थानीय पंजिकाओं को स्थापित और अनुरक्षण करना, कंपनी का पंजीकरण और मान्यता प्राप्त करना और विश्व के किसी भी भाग में व्यापार करना और ऐसे कदमों को उठाना जो विश्व के किसी भी हिस्से में कंपनी को ऐसे अधिकार एवं विशेषाधिकार दिलाने के लिए आवश्यक हो, जो स्थानीय कंपनी या साझेदारी के अधिकार में हैं, या जैसे वांछनीय विचार किए जाएं ।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

शेयरों के लिए अभिदान करना	22.	शेयर, स्टाक, प्रतिभूतियो और ऋणग्रस्तता के प्रमाण या लाभ में प्रतिभागिता का अधिकार या सरकार, प्राधिकार, निगम या निकाय या किसी कंपनी या व्यक्तियों के निकाय द्वारा जारी किए गए इसी तरह के कोई अन्य दस्तावेज और इनके बारे में कोई विकल्प या अधिकार का अभिदान, हामीदारी, क्रय, अन्यथा अधिग्रहण करना और रखना, निपटाना और सौदा करना।
मूल्यह्रास निधि बनाना	23.	किसी मूल्यह्रास कोष, आरक्षित कोष, निक्षेप कोष, बीमा कोष या कोई अन्य कोष बनाना, चाहे मूल्यह्रास के लिए हो या मरम्मत, सुधार, विस्तार या कंपनी की किसी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए हो या प्रतिदेय वरीयता शेयर्स के लिए हो अथवा कंपनी के हितों के लिए अनुकूल किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए हों।
बैंकों आदि में खाते खोलना	24.	किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ या किसी बैंक या बैंकर या वित्तीय एजेंसी में खाता खोलना और ऐसे खाते या खातों में धन का भुगतान करना और वापस निकालना।
कंपनियों का अधिग्रहण करना	25.	किसी भी ऐसी कंपनी, जो वह कारोबार करती हो, जिसे करने के लिए कंपनी अधिकृत है, या किसी अन्य कंपनी या उद्यम, जिसके अधिग्रहण से संभावित प्रतीत होने वाले या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुविचारित कंपनी के हित वर्द्धन या प्रगति या बढ़त या लाभ हो, में ऐसे के शेयर्स, स्टॉक्स या प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना और ऐसे शेयर्स, स्टॉक्स या प्रतिभूतियों का विक्रय या निपटान या हस्तांतरण करना।
परामर्शी सेवाएँ देना	26.	जिस क्षेत्र में यह लगी हुई है उसकी गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में परामर्श सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना, संगठित करना या संचालित करना।
अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करना	27.	ऐसी किसी कंपनी का प्रवर्तन करना या प्रवर्तन में सहमत होना जिसका प्रवर्तन कंपनी के उद्देश्यों या किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वांछनीय माना जाए।
सुविधाजनक व्यापार करना	28.	आम तौर पर ऐसी अन्य सभी अन्य चीजों को करना जो उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी की भी प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या अनुकूल मानी जा सकती हों और किसी भी ऐसे व्यवसाय को चलाना जिसे कंपनी के किसी भी उद्देश्यों के संबंध में चलाने में कंपनी आसानी से सक्षम हो अथवा जो कंपनी की किसी भी संपत्ति या अधिकारों का मूल्यवर्द्धन करता हो या लाभकारी बनाता हो।

ग. अन्य उद्देश्य

एक उद्यमी के रूप में कार्य करना	29.	भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे निवेशों को शुरू करना या शुरू करने में सहायता करना।
विद्युत परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों का निर्माण प्रबंधन और/अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण का व्यवसाय करना	30.	मुख्य उद्देश्य खंड के अनुच्छेद 1 में संदर्भित सभी प्रकार की विद्युत परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों का निर्माण प्रबंधन और/या प्रचालन तथा अनुरक्षण करना और ऐसे कार्यों को करने के लिए अनुबंध करना।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

धन उधार देना	31.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन संपत्ति या अचल संपत्ति के बंधक पर या बैंक गारंटी के बदले धन उधार देना और जैसा निदेशक आवश्यक समझे, उन शर्तों पर भविष्य की माल आपूर्ति और सेवाओं के बदले अग्रिम धन देना और कंपनी के धन का उस तरह से निवेश करना जैसा निदेशक ठीक समझें, उसे बेचना, हस्तांतरण करना एवं व्यवहार करना।
सूचना आदि एकत्रित करना	32.	कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी की व्यवस्था करना, प्राप्त और एकत्रित करना।
भूमि आदि द्वारा वाहकों (कैरियर्स) का कारोबार करना	33.	जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो, भूमि, समुद्र और हवाई वाहकों का व्यापार चलाना।
सहायक कंपनियों द्वारा लेन-देन किए जा रहे माल का सौदा करना	34.	कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा निर्मित, उत्पादित या व्यवहार की जा रही सभी वस्तुओं, माल और वस्तुओं में किसी भी रूप में जैसा भी हो, ट्रेडिंग और सौदा करने का कारोबार चलाना।

और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है किः

	(क)	'कंपनी' शब्द में, जब इस खंड में, कंपनी के संदर्भ में उपयोग किया गया हो, के सिवाय, किसी भी साझेदारी, या व्यक्तियों के अन्य निकाय, चाहे निगमित हों या निगमित न हों, चाहे भारत में या कहीं और निवासी (डॉमिसाइल) हो, को शामिल किया हुआ समझा जाएगा।
	(ख)	'भारत' शब्द जब इस खंड में इस्तेमाल किया गया है, जब तक कि संदर्भ के लिए प्रतिकूल न हो, समय-समय पर भारत संघ में शामिल सभी प्रदेशों को शामिल करेगा।
	(ग)	'उत्तर प्रदेश' शब्द जहाँ इस खंड में इस्तेमाल किया गया है, जब तक कि संदर्भ के लिए प्रतिकूल न हो, समय - समय पर उत्तर प्रदेश के राज्य में शामिल सभी प्रदेशों को शामिल करेगा।
सीमित देयता	IV	सदस्यों की देयता सीमित है।
शेयर पूंजी	V	कंपनी की शेयर पूंजी 4000 करोड़ रुपए (रुपए चार हजार करोड़ मात्र) है जो 4,00,00,000 (चार करोड़) इक्विटी शेयर्स, प्रत्येक का मूल्य रु. 1000/-, में विभाजित है।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

अभिदानकर्ताओं के नाम, पते, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हैं	प्रत्येक अभिदानकर्ता द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	अभिदानकर्ता के हस्ताक्षर	गवाहों के हस्ताक्षर और उनके पते, विवरण और व्यवसाय, यदि कोई हों।
1. श्री जे सी. गुप्ता, पुत्र श्री पी. सी. गुप्ता, सदस्य (एचई) सीईए, भारत सरकार, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में)	दो इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- जे. सी. गुप्ता	हस्ताक्षरित/- वी. के. मलिक एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जीएफ-12, मानसरोवर, 90 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
2. श्री वी.के. खन्ना, पुत्र स्वर्गीय श्री एच. के. खन्ना, संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, (भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- वी. के. खन्ना	
3. श्री यू. वी. भट, पुत्र श्री यू. आर. भट, संयुक्त सचिव (विद्युत), ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/ यू. वी. भट	
4. श्री शहजाद बहादुर, पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश बहादुर, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव. विद्युत विभाग (उ. प्र. के राज्यपाल के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- शहजाद बहादुर	
5. श्री ए.के. दास, पुत्र स्वर्गीय श्री टी.के. दास, उ. प्र. सरकार के सचिव, सिंचाई विभाग, (उ. प्र. के राज्यपाल के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- ए. के. दास	
6. श्री के.के. कश्यप, पुत्र श्री वी. पी. कश्यप, एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- के. के. कश्यप	
7. श्री ए सी सेन, पुत्र स्वर्गीय श्री एस.सी. सेन, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में)	एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित/- ए. सी. सेन	

नई दिल्ली, दिनांक

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम)

के

अंतर्नियम

व्याख्या	1.	"संस्था के बहिर्नियमों और इन अंतर्नियमों" की व्याख्या में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का, जब तक विषय या उसके सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित तात्पर्य है:-
अधिनियम या उक्त अधिनियम *		**"अधिनियम' या "उक्त अधिनियम"** से तात्पर्य भारत में समय-समय पर लागू यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 से है जिसमें कंपनी के संबंध में वैधानिक प्रावधान किए गए हैं।
लाभग्राही स्वामी #		**"लाभग्राही स्वामी"** से तात्पर्य डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथा परिभाषित लाभग्राही स्वामी से है।
डिबेंचर #		**"डिबेंचर"** में डिबेंचर स्टॉक, बांड एवं कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, चाहे वे कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभारित होती हों या नहीं।
डिमेटिरियलाइजेशन #		**"डिमेटिरियलाइजेशन"** वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शेयर धारक/डिबेंचर धारक किसी सहभागी डिपोजिटरी में खोले गए अपने खाते में मूल शेयर/डिबेंचर प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक बेलेंस में परिवर्तित कर रख सकता है।
डिपोजिटरी #		**"डिपोजिटरी"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत किसी कंपनी से है तथा जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत डिपोजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया हो।
डिपोजिटरी अधिनियम #		**"डिपोजिटरी अधिनियम"** से तात्पर्य डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 या अन्य सांविधिक संशोधन या उसके बाद अधिनियमित अधिनयम से है।
ग्रहणाधिकार #		**"ग्रहणाधिकार"** से तात्पर्य किसी मौजूदा अथवा निर्मित किए जा रहे अधिकार, हक या हित से है अथवा बिक्री की प्रकृति, बिक्री करार, शपथ, हाइपोथिकेशन, लाइसेंस, किराया खरीद, लीज किरायेदारी, बंधक, प्रभार, सह-स्वामित्व, अतिक्रमण, कब्जा, किसी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकरण की संलग्नता एवं अन्य प्रक्रियाओं, किसी संपत्ति की बिक्री से वसूलनीय सांविधिक देनदारियों या किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों अथवा सामान्यतया भार के किसी तरीके से मौजूद हों या निर्मित किए गए हों।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

मण्डल या निदेशक मण्डल *		‘मण्डल‘ या ‘निदेशक मण्डल’ से तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के संयुक्त निकाय से है ।
पूंजी		‘पूंजी‘ से तात्पर्य कंपनी के उद्देश्यों के लिए फिलहाल बढ़ाई गई या बढ़ाए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी से है।
अध्यक्ष		‘अध्यक्ष‘ से तात्पर्य फिलहाल कंपनी के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से है।
कम्पनी या इस कम्पनी *		‘कम्पनी‘ या ‘इस कम्पनी‘ से तात्पर्य टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड से है ।
निदेशक *		‘निदेशक‘ से तात्पर्य कम्पनी के मण्डल में नियुक्त किए गए निदेशकों से है।
लाभांश *		‘लाभांश‘ में कोई भी अन्तरिम लाभांश सम्मिलित हैं ।
निष्पादक या प्रशासक		‘निष्पादक‘ या ‘प्रशासक‘ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट या प्रशासन का पत्र, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया हो ।
लिंग		पुलिंग शब्द में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित है ।
भारत सरकार		‘भारत सरकार‘ से तात्पर्य भारत के सम्प्रभु गणतंत्र की सरकार से है ।
उत्तर प्रदेश सरकार		‘उत्तर प्रदेश सरकार‘ से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है।
उत्तराखंड सरकार *		उत्तराखंड सरकार से तात्पर्य उत्तराखंड राज्य की सरकार से है ।
सरकारी निगम *		कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी
माह		‘माह‘ का अर्थ कैलेन्डर माह से है।
कार्यालय		‘कार्यालय‘ से तात्पर्य वर्तमान समय में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से है।
व्यक्ति		‘व्यक्ति‘ में कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एसोशिएसन ट्रस्ट अथवा कोई अन्य संगठन या इकाई शामिल है जिसमें कोई सरकारी या राजनैतिक उप-विभाजन, मंत्रालय, विभाग या एजेंसी शामिल है ।
पोस्टल बेलेट #		‘‘पोस्टल बेलेट’’ से तात्पर्य डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक तरीके के माध्यम से की गई वोटिंग से है ।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

सेबी #		**"भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड"** से तात्पर्य सेबी अधिनियम, 1992 की धारा-3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से है।
प्रतिभूतियां #		**"प्रतिभूतियों"** से तात्पर्य प्रतिभूति संविदाएं (विनिमय) अधिनियम, 1956 की धारा-2 के खंड (एच) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियों से है।
पंजीकृत स्वामी #		**"पंजीकृत स्वामी"** से तात्पर्य किसी डिपोजिटरी से है जिसका नाम समान रूप में कंपनी के अभिलेखों में दर्ज हो।
बहुवचन		बहुवचन में एकवचन शब्द भी समाविष्ट है।
राष्ट्रपति		**'राष्ट्रपति'** का तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति से है।
राज्यपाल		**'राज्यपाल'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से है।
रजिस्टर *		**'रजिस्टर'** का तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर/डिबेंचर के रजिस्टर से है और डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत डिपोजिटरी के द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिकों के पंजीकरण एवं सूची से भी है।
रजिस्ट्रार *		**'रजिस्ट्रार'** से तात्पर्य अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार से है जो कंपनियों के पंजीकरण की ड्यूटी का निर्वहन करता हो और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार्यों में अपनी सेवाएं देता हो।
इन नियमों या विनियमों		'इन नियमों' या 'विनियमों' का तात्पर्य मूलरुप से निर्मित या समय-समय पर परिवर्तित इन विनियमों के अंतर्नियमों से है तथा जहाँ संदर्भ में ऐसा आवश्यक हो, बहिर्नियमों को शामिल करता है।
मुहर		'मुहर' से तात्पर्य वर्तमान में कम्पनी में प्रयुक्त की जा रही सामान्य मुहर से है।
बाई बेक #		कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण धारा 67 एवं 68 के अनुसार
एकवचन		एकवचन में बहुवचन शब्द भी समाविष्ट हैं।
रिमेटिरियलाइजेशन #		**"रिमेटिरियलाइजेशन"** वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रानिक होल्डिंग को वापस मूल रूप में परिवर्तित किया जाता है और शेयर धारक/डिबेंचर धारकों का पक्ष में नया शेयर/डिबेंचर जारी किया जाता है।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

शेयर *		‘शेयर‘ से तात्पर्य कंपनी की शेयर पूंजी में एक शेयर से है और इसमें स्टॉक शामिल होता है।
लिखित		लिखित में मुद्रण और लिथोग्राफी या दिखाई देने वाले शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने या दिखाने की विधा शामिल है।
अनुच्छेदों में वैसा ही अर्थ जैसा अधिनियम में अभिव्यक्ति है		जैसा कि पूर्व में कहा गया है उसके अध्यधीन, अधिनियम में परिभाषित शब्दों या अभिव्यक्तियों, सिवाए जहाँ विषय या सन्दर्भ निषेध करता है, का वही अर्थ इन अंतर्नियमों में है।
हाशिए की टिप्पणियाँ		इसके हाशिए की टिप्पणियाँ इसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेंगी।
सारणी ‘क‘ लागू नहीं *	2	अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी ‘च‘ में विनियम कंपनी पर लागू होंगे और इसके विनियमों का निर्माण करेंगे, जब तक कि इसके बाद उन्हें स्पष्टतया और विहित रूप से हटा दिया गया हो, संशोधित कर दिया गया हो या परिवर्तित कर दिया गया हो।
कम्पनी इन अंतर्नियमों के द्वारा नियंत्रित होगी।	3	कम्पनी प्रबन्धन तथा उसके सदस्यों और प्रतिनिधियों के अनुसरण के लिए विनियम, जैसा पहले कहा गया है तथा किसी विशेष संकल्प द्वारा इसके अंतर्नियमों के निरसन या बदलाव या जोड़ने के संदर्भ में कम्पनी की वैधानिक शक्तियों का उपयोग करने जैसा कि अधिनियम में अनुमत है, के अध्यधीन, इस प्रकार हैं जैसे इन अंतर्नियमों में दिए गए हैं।

पूंजी एवं शेयर

शेयर पूंजी	4	कम्पनी की शेयर पूंजी 4000 करोड़ रुपए (चार हजार करोड़ रुपए मात्र) है जो 4,00,00,000 (चार करोड़) इक्विटी शेयर्स, प्रत्येक का मूल्य रु. 1000/- में विभाजित है।
शेयरों का आबंटन *	5	अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों और इन अंतर्नियमों के अध्यधीन शेयर निदेशक मण्डल के नियंत्रण में होंगे जो इनके संपूर्ण या कुछ भाग को ऐसे अनुपात में और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर और या तो प्रीमियम पर या पूर्ण रूप से या (अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन) रियायत देते हुए ऐसे समय पर आबंटित कर सकते हैं या अन्यथा इनका निपटारा कर सकते है जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो और अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अध्यधीन आम बैठक में कंपनी की मंजूरी के अध्यधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विकल्प देने का अधिकार या किसी शेयर के लिए मांग करने का अधिकार या ऐसे समय के दौरान सममूल्य या प्रीमियम पर और ऐसे विचार के लिए जैसा निदेशक उपयुक्त समझते हों, बेची गई किसी संपत्ति के पूरे या आंशिक भाग के भुगतान पर कंपनी की पूंजी में शेयर जारी एवं आबंटित किए जा सकते हैं और
* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		कंपनी अपने व्यवसाय के संचालन और इस प्रकार आबंटित किए गए शेयर पूर्ण प्रदत्त शेयर के रूप में जारी किए जा सकते हैं और इस प्रकार जारी किए गए शेयर पूर्ण प्रदत्त शेयर समझे जाएंगे। बशर्ते कि आम बैठक में कंपनी के अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शेयरों की मांग करने का विकल्प या अधिकार न दिया गया हो।
प्रमाणपत्र		
सदस्य का प्रमाण-पत्र का अधिकार *	6	प्रत्येक सदस्य अपने नाम पर पंजीकृत प्रत्येक वर्ग एवं मूल्य के सभी शेयरों और डिबेंचरों के लिए मार्केटिंग लॉट में एक या एक से अधिक प्रमाणपत्रों को बिना भुगतान के प्राप्त करने के हकदार होंगे अथवा यदि निदेशक प्रत्येक ऐसे शेयर / डिबेंचर के एक या अधिक के लिए अनेक प्रमाण पत्रों की मंजूरी देते हैं (ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जैसा निदेशक समय-समय पर निर्धारित करें) और कंपनी आबंटन की तिथि से दो महीने के भीतर ऐसे प्रमाण पत्रों को सुपुर्दगी करने के लिए तैयार करेगी, जब तक कि जारी करने की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो अथवा अपने शेयर/डिबेंचर के अंतरण, हस्तांतरण, उप विभाजन, समेकन या नवीकरण के पंजीकरण के आवेदन के एक महीने के भीतर प्रमाण पत्रों को सुपुर्दगी करने के लिए तैयार करेगी, जैसा भी मामला हो । शेयरों और डिबेंचरों के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर कंपनी की मुहर लगी होगी और इस पर जारी किए गए शेयरों और डिबेंचरों की संख्या और विशिष्ट संख्या तथा भुगतान की गई राशि विर्निदिष्ट होगी तथा यह ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि निदेशक तय करेंगे या अनुमोदित करेंगे, बशर्ते कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए शेयर(रों)/डिबेंचर(रों) के लिए कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगी और अनेक धारकों में से किसी एक को शेयर और डिबेंचर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि सभी के लिए पर्याप्त माना जाएगा। बशर्ते कि सदस्य, बांड या डिवेंचर धारक द्वारा डिमैटेरियलाइज्ड रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के मामले में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को उसके किसी शेयर/बांड/डिवेंचर के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
विरूपित होने, खोने या नष्ट हो जाने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र निर्गत करना *	7	यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त, विरूपित हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के लिए पृष्ठांकित करने हेतु उसके पीछे कोई स्थान नहीं बचता तो इसे कंपनी को वापिस करने पर उसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और यदि कोई प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी की संतुष्टि के लिए इसका प्रमाण देने एवं
* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		जैसा कंपनी उचित समझे ऐसी क्षतिपूर्ति करने पर खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाण पत्र के लिए पात्र पार्टी को इसके स्थान पर नया प्रमाणपत्र दिया जा सकता है । अंतर्नियमों के अंतर्गत प्रत्येक प्रमाणपत्र बिना किसी शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा, यदि निदेशक ऐसा निर्णय लेते हैं, या ऐसे शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा जिसे निदेशक निर्धारित करते हैं । बशर्ते कि पुराने हो गए, विरूपित हो गए या फट गए तथा जिनके पीछे अंतरण के पृष्ठांकन हेतु कोई स्थान नहीं बचा है, ऐसे प्रमाण पत्रों के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा । बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित बातों के होते हुए भी निदेशक अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए ऐसे नियमों और विनियमों या अपेक्षाओं या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाए गए नियमों या इस संदर्भ में लागू नियमों का पालन करेंगे । इस अंतर्नियम के प्रावधान कंपनी के डिबेंचर पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
		शेयरों / डिबेंचरों के संबंध में मांग
शेयरों / डिबेंचरों के संबंध में मांग #	**7 क**	निदेशक मंडल समय-समय पर मंडल की बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से (और परिचालन के माध्यम से लिए गए संकल्प द्वारा नहीं) सदस्यों या डिबेंचर धारकों से उनके शेयरों या डिबेंचरों पर भुगतान न किए गए धन के संदर्भ में मांग कर सकते हैं और नोटिस देते हुए, जिसकी अवधि 15 दिन से कम न हो, भुगतान करने की समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य या डिबेंचर धारक को कंपनी के पक्ष में अपने शेयरों/डिबेंचरों पर की गई निर्दिष्ट राशि की मांग का भुगतान करना होगा । बशर्ते कि निदेशक समय-समय पर अपने विवेक से किसी भी मांग के भुगतान के लिए निर्धारित समय का विस्तार कर सकते हैं।
मांग पर जब ब्याज देय हो #	**7 ख**	यदि किसी मांग के संबंध में देय राशि का भुगतान निर्धारित किए गए दिन या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो उस समय के धारक को या शेयर/डिबेंचर के आबंटिती, जिससे इस संबंध में मांग की गई है, को भुगतान का निर्धारण की गई तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक के ब्याज का भुगतान उस दर से करना होगा जो निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं । लेकिन यदि निदेशक मंडल चाहे तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस तरह के ब्याज का भुगतान माफ कर सकता है ।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

मांग से पूर्व अग्रिम भुगतान	**7 ग**	निदेशक यदि उचित समझें तो अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अध्यधीन किसी भी सदस्य से उसके द्वारा धारित किए गए शेयरों पर वास्तविक मांग के जोड़ के इतर संपूर्ण धन या आंशिक हिस्से को अग्रिम के रूप में प्राप्त करने के लिए सहमति दे सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं और अग्रिम रूप से इस प्रकार भुगतान की गई राशि पर कंपनी उस दर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है जिस पर सदस्य एवं निदेशकों के मध्य सहमति हुई है बशर्ते कि मांग से पूर्व अग्रिम रूप में भुगतान की गई धनराशि का लाभों या लाभांशों में अंशभागिता का अधिकार नहीं होगा। निदेशक किसी भी समय इस प्रकार के अग्रिम की राशि की पुनर्अदायगी कर सकते हैं। सदस्य तब तक इस प्रकार अदा की गई धनराशि के संबंध में किसी भी मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे जब तक कि उनके द्वारा वर्तमान में भुगतान के लिए ऐसी कोई धनराशि देय न हो। इन अंतर्नियमों के प्रावधान कंपनी के डिबेंचरों पर मांग के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
		ग्रहणाधिकार
	7 घ.	(क) कंपनी के पास प्रत्येक सदस्य और डिबेंचर धारक (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त) के नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों और डिबेंचरों (पूर्ण प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों के अलावा और यदि कंपनी के ग्रहणाधिकार में आंशिक प्रदत्त शेयर/डिबेंचर मांग की गई धनराशि से प्रतिबंधित हों या ऐसे शेयर/डिबेंचर जो नियत समय पर भुगतान योग्य हों) पर पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा और ऐसे शेयर और डिबेंचर के संबंध में निश्चित समय पर मांगी गई या भुगतान योग्य सभी धनराशियों (चाहे इस समय भुगतान योग्य हों या नहीं) के लिए बिक्री की प्रक्रिया पर और किसी शेयर/डिबेंचर में किसी प्रकार का न्यायसंगत ब्याज उत्पन्न नहीं होगा सिवाय इसके कि इस अंतर्नियम का पूर्ण प्रभाव होगा। ऐसे किसी ग्रहणाधिकार को समय-समय पर ऐसे शेयरों और डिबेंचरों के संबंध में घोषित किए गए/उद्भुत होने वाले सभी लाभांशों, बोनस और ब्याज में शामिल किया जाएगा। जब तक कि अन्यथा सहमति न हो शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण का पंजीकरण इन शेयरों/डिबेंचरों पर, कंपनी के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हैं, को छोड़ने के रूप में कार्य करेगा। निदेशक किसी भी समय इस खंड के प्रावधानों से किसी शेयर और डिबेंचर को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को रियायत दे सकते हैं। ख) कंपनी किसी शेयर या डिबेंचर, जिसमें कंपनी का ग्रहणाधिकार हो, को इस तरीके से खरीद सकती है जैसा कि बोर्ड उचित समझे, बशर्ते कि उसका विक्रय नहीं किया जाएगा।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

		(i) जब तक कि वह राशि जिसके लिए ग्रहणाधिकार वर्तमान में देय है, या (ii) शेयर या डिबेंचर के तत्समय पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु या दिवालिया हो जाने के कारण किसी पात्र व्यक्ति को वर्तमान में देय ग्रहणाधिकार के संबंध में धनराशि के ऐसे भाग का भुगतान करने के लिए लिखित में यह अभिलिखित करते हुए और भुगतान की मांग करते हुए नोटिस देने के 14 दिन की समाप्ति तक । (ग)(i) ऐसी किसी बिक्री को प्रभावी करने के लिए मंडल उसके क्रेता को बेचे गए शेयरों या डिबेंचर को हस्तांतरित करने के लिए कुछ व्यक्तियों को अधिकृत कर सकता है । (ii) क्रेता को ऐसे किसी भी हस्तांतरण में शामिल शेयरों या डिबेंचर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। (घ)(i) बिक्री का मूल्य कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा और धनराशि के ऐसे भाग के भुगतान में लगाया जाएगा जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार वर्तमान में देय है । (ii) अथशेष, यदि कोई है, तो वह बिक्री की तिथि को शेयरों या डिबेंचरों के पात्र व्यक्ति को बिक्री का भुगतान करने से पूर्व शेयरों या डिबेंचरों पर वर्तमान में देय धनराशि के लिए ग्रहणाधिकार के अध्यधीन होगा । (iii) क्रेता खरीद धनराशि के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही उसका शेयरों का अधिकार बिक्री के संदर्भ में कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अवैधता से प्रभावित होगा ।
		जब्ती
शेयरों/डिबेंचरों की जब्ती #	7ड़.	(i) यदि कोई सदस्य या डिबेंचर धारक किसी मांग या किसी मांग की किस्त का भुगतान निर्धारित किए गए दिन को करने में विफल रहता है तो मंडल उसके बाद ऐसे समय के दौरान, जब तक कि मांग का कोई भाग या किस्त देय रहती है, किसी भी समय भुगतान न की गई मांग के किसी भाग या किस्त के भुगतान तथा उस पर उद्भुत ब्याज के साथ जमा करने का नोटिस दे सकता है । उपर्युक्त नोटिस निम्नानुसार होगा : (क) आगे दिए जाने वाले दिन का नाम (नोटिस देने की तारीख से चौदह दिन से पूर्व न हो) को या उससे पहले, नोटिस में भुगतान करने की जो तारीख दी गई है, और ख) अभिलिखित करें कि बताए गए दिन को या उससे पूर्व भुगतान न करने की दशा में शेयर या डिबेंचर जिनके लिए मांग की गई है, जब्त कर लिए जाएंगे ।

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		ग) यदि उपर्युक्तानुसार किसी ऐसे नोटिस की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता जो किसी शेयर या डिबेंचर के संदर्भ में दिया गया है तो उसके बाद नोटिस में दिए गए अपेक्षित भुगतान से पूर्व किसी भी समय इसे मंडल में इस प्रभाव के संकल्प द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (iii) कोई जब्त किया गया शेयर या डिबेंचर बेच दिया जाएगा या अन्यथा ऐसी शर्तों पर एवं इस प्रकार से उसका निपटारा कर दिया जाएगा जैसा कि मंडल उचित समझता हो। (iv) उपर्युक्तानुसार बेचने या निपटारे से पूर्व किसी भी समय मंडल ऐसी शर्तों पर जब्ती को निरस्त कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
जब्ती का प्रभाव #	7च	(i) कोई व्यक्ति जिसके शेयर या डिबेंचर जब्त कर लिए गए हैं, वह जब्त किए गए शेयरों/डिबेंचरों के संदर्भ में सदस्य या धारक नहीं रहेगा परन्तु जब्ती के बाद भी उसे उन सभी धनराशियों का भुगतान कंपनी के पक्ष में करना होगा जो उसके द्वारा जब्त किए गए शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में जब्ती की तारीख पर कंपनी को देय था। (ii) ऐसे व्यक्ति की देयता समाप्त हो जाएगी यदि और जब कंपनी शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में सभी ऐसी धनराशियों को पूर्ण रूप से उससे प्राप्त कर लेगी।
जब्ती की घोषणा एवं अन्य प्रावधान #	7छ	(i) लिखित में विधिवत सत्यापित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक या कंपनी सचिव है और यह कि कंपनी में शेयर या डिबेंचर घोषणा में दी गई तारीख को विधिवत जब्त कर लिया गया है, और इसमे अभिलखित तथ्य शेयर या डिबेंचर के हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अंतिम साक्ष्य होंगे। (ii) कंपनी शेयर या डिबेंचर की किसी बिक्री या निपटान के समय उनके लिए दिए गए किसी भुगतान को प्राप्त कर सकती है और ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में शेयर या डिबेंचरों को अंतरित कर सकती है जिनको शेयर या डिबेंचर बेचे गए हैं या निपटारा किया गया है। (iii) इसके बाद हस्तांतरी को शेयर या डिबेंचर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। (iv) हस्तांतरी खरीद धनराशि, यदि कोई हों, के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही उसका शेयर या डिबेंचर का अधिकार जब्ती, बिक्री या निपटारे के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अवैधता से प्रभावित होगा।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		(v) जब्ती के लिए इन विनियमों के प्रावधान को किसी भी राशि के अदेयता के मामले में लागू किया जाएगा जो कि शेयर डिबेंचर जारी करने की अवधि तक नियत समय पर देय हो जाती है, चाहे शेयर या डिबेंचर के नाममात्र मूल्य की मद में या प्रीमियम के रूप में अगर विधिवत की गई मांग और अधिसूचना द्वारा देय हो।
शेयरों/डिबेंचरों का अभ्यर्पण #	7 ज	बोर्ड ऐसी निबंधन और शर्तों पर किसी शेयरधारक / डिबेंचरधारक से शेयर या डिबेंचर स्वीकार कर सकता है जिनमें उसके सभी या किसी शेयर/डिबेंचर के अभ्यर्पण पर सहमति हो गई हो।
		रजिस्टर एवं सूची
सदस्यों/डिबेंचधारकों का रजिस्टर एवं सूची #	7 झ	कंपनी अधिनियम की धारा 88 और डिपोजिटरी अधिनियम,1996 के अनुसरण में कंपनी सदस्यों/डिबेंचर धारकों का रजिस्टर एवं सूची, जिनमें शेयरों/डिबेंचरों के विवरण मूल रूप में और डिमैटरलाइज्ड रूप में जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के साथ इलेक्ट्रानिक माध्यम के प्रारूप सहित पंजीकृत कार्यालय में या किसी ऐसे स्थान पर रखेगी जो निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए। डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत किसी डिपोजिटरी के द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर एवं सूची कंपनी अधिनियम और उसमें किसी संशोधन या उसके बाद पुन: अधिनियमन के उद्देश्य के लिए सदस्यों/डिबेंचरधारकों का रजिस्टर एवं सूची माना जाएगा। कंपनी के पास भारत के बाहर किसी राज्य या देश में उस राज्य या देश के निवासियों के लिए सदस्यों/डिबेंचरधारकों के किसी रजिस्टर को रखने की शक्ति होगी।
		शेयरों का अंतरण एवं हस्तांतरण
शेयरों का अंतरण एवं हस्तांतरण *	8.	(क) विनिर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के अध्यधीन कंपनी निम्नलिखित के सिवाय हस्तांतरी के नाम पर प्रतिभूतियों का अंतरण पंजीकरण करेगी: (i) जब विशेष परिस्थितियों में निदेशकों द्वारा यहां दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में अंतरण का अनुमोदन न किया गया हो, (ii) जब कोई सांविधिक निषेध या कोई अनुलग्नक या किसी सक्षम प्राधिकरण का कोई निषेधात्मक आदेश कंपनी को हस्तांतरणकर्ता के नाम से प्रतिभूतियों का अंतरण करने से प्रतिबंधित करता हो, जब हस्तांतरणकर्ता अंतरण पर आपत्ति करता हो बशर्ते कि वह समुचित समय के भीतर सक्षम न्यायालय के निषेधात्मक आदेश कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		(ख) अधिनियम की धारा 58 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इन अंतर्नियमों या तत्समय लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अध्यधीन बोर्ड या तो इन अंतर्नियमों या अन्यथा के अंतर्गत कंपनी की किसी शक्ति के अनुसरण में कंपनी के शेयरों या डिबेंचर में किसी सदस्य के शेयरों या हितों के अंतरण का पंजीकरण करने, हस्तांतरण के कानूनी अधिकार से मना कर सकता है। कंपनी भेजे गए अंतरण दस्तावेज या हस्तांतरण की सूचना का दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर हस्तांतरी एवं हस्तांतरणकर्ता को या हस्तांतरण की सूचना देने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को ऐसे इन्कार का कारण उल्लिखित करते हुए नोटिस भेजेगी। बशर्ते कि अंतरण के पंजीकरण का इन्कार इस आधार पर नहीं किया गया है कि हस्तांतरणकर्ता अकेले या किसी और व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी मद पर ऋणग्रस्त है सिवाय इसके कि जब कपनी का शेयरों पर ग्रहणाधिकार है। (ग) यदि शेयर/डिबेंचर मूल रूप में हैं तो अंतरण का दस्तावेज लिखित में होगा और शेयरों के अंतरण एवं उसके बाद पंजीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 56 और तत्समयक सांविधिक संशोधनों के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जाएगा। (घ) अंतरण, हस्तांतरण, प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और प्रशासन पत्र, मृत्यु या विवाह का प्रमाण पत्र, पॉवर ऑफ अटार्नी या इनके जैसे अन्य दस्तावेज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अंतरण का रजिस्टर *	9	कंपनी शेयरों के अंतरण और डिबेंचरों के अंतरण के लिए एक रजिस्टर रखेगी जिसमें किसी शेयर या डिबेंचर के कई अंतरणों या हस्तांतरणों का विवरण प्रविष्ट किया जाएगा।
अंतरण का निष्पादन *	10	कम्पनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के दस्तावेज हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी दोनों के द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा हस्तांतरकर्ता तब तक शेयर धारक या डिबेंचर धारक माना जाएगा जब तक कि हस्तांतरी का नाम सदस्यों या डिबेंचरधारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता है।
नामांकन #	10 क	(i) प्रत्येक शेयर/बांड/डिबेंचर धारक और कोई जमाकर्ता कंपनी की पब्लिक डिपोजिट योजना (जमाकर्ता) के अंतर्गत किसी भी समय निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति का नामांकन कर सकता है जिसे धारक की मृत्यु की दशा में कंपनी में उसके शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा सुपुर्द किए जा सकें।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

\# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

		(ii) यदि कंपनी में शेयर या बांड या डिबेंचर या जमा एक से अधिक व्यक्तयों के द्वारा संयुक्त रूप से रखी जाती है तो संयुक्त धारक एक साथ किसी व्यक्ति को सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों या बांड या डिबेंचर या जमा में अधिकार के लिए, जैसा भी मामला हो, नामित कर सकते हैं। (iii) तत्समयक किसी अन्य कानून में किसी बात के होने के बावजूद या चाहे वसीयतनामे या अन्यथा से स्थिति में परिवर्तन होने पर भी यदि कंपनी में ऐसे शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के संबंध में किसी व्यक्ति का नामांकन विनिर्दिष्ट तरीके से किया गया है तो नामित किया गया व्यक्ति शेयर /बांड/डिबेंचरधारकों या जमाकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु हो जाने के बाद उन शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा, जैसा भी मामला हो, में सभी अधिकार प्राप्त करने का पात्र होगा । ऐसे शेयर /बांड/डिबेंचर या जमा से जुड़े सभी संयुक्त धारकों को निकाल दिया जाएगा जब तक कि नामांकन में परिवर्तन न किया गया हो या विनिर्दिष्ट तरीके से निरस्त न किया गया हो। (iv) यदि नामित अव्यस्क है तो शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के धारकों के लिए यह उचित होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए नामांकन करें जो कि नामित के अव्यस्क रहने तक धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में शेयर /बांड/डिबेंचर या जमा प्राप्त करने का पात्र बन सके।
नामित द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण #	**10 ख**	कोई नामित व्यक्ति बोर्ड के द्वारा यथापेक्षित साक्ष्य देने पर और नीचे दिए गए अनुसार चयन कर सकता है, या तो: (i) शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा, जैसा भी मामला हो, के धारक के रूप में स्वयं को पंजीकरण कराने या, (ii) शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा, जैसा भी मामला हो, का ऐसा अंतरण जो मृतक शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा धारक कर सकते थे।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		(iii) यदि नामित व्यक्ति शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा, जैसा भी मामला हो, को अपने नाम पर पंजीकृत कराने का विकल्प चुनता है तो वह कंपनी को लिखित में अपने हस्ताक्षर से यह उल्लिखित करते हुए नोटिस भेजेगा कि वह ऐसा चयन करना चाहता है और ऐसे नोटिस के साथ मृतक शेयर/बांड/डिबेंचर धारक या जमाकर्ता, जैसा भी मामला हो, का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। (iv) कोई नामित व्यक्ति उसी रूप में लाभांशों या अन्य प्रतिलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा जैसा वह शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के पंजीकृत धारक के रूप में होता सिवाय इसके कि अपने शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के संदर्भ में पंजीकृत सदस्य बनने से पूर्व वह कंपनी की बैठकों के संदर्भ में सदस्यता द्वारा प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। आगे बशर्ते कि बोर्ड किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को या तो स्वयं को पंजीकृत कराने या शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के अंतरण कराने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि नब्बे दिन के भीतर नोटिस का संज्ञान नहीं लिया जाता तो बोर्ड उसके बाद बोर्ड शेयर/बांड/डिबेंचर या जमा के संबंध में उद्‌भुत हुए सभी लाभांशों, बोनस या अन्य देय धनराशि के भुगतान या अधिकार को रोक सकता है जब तक कि नोटिस की अपेक्षाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता।
		प्रतिभूतियों का हस्तांतरण
शेयरों का हस्तांतरण *	**11**	अनुच्छेद 8 में विहित कोई भी बात, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे विधि संचालन द्वारा कंपनी का कोई शेयर/डिबेंचर हस्तांतरित किया गया है, शेयर धारक या डिबेंचर धारक के रुप में पंजीकृत करने की कम्पनी की किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
		प्रतिभूतियों का डिमैटिरियलाइजेशन
प्रतिभूतियों का डिमैटिरियलाइजेशन #	**11 क**	इन अंतर्नियमों में किसी बात के होते हुए भी कंपनी डिपोजिटरी में रखे गए अपने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों (वर्तमान एवं भावी दोनों) डिमैटिरियलाइज या रिमैटिरियलाइज कराने की पात्र होगी और डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बने नियमों, यदि कोई हों, के अनुसरण में डिमैटिरियलाइज रूप में अंशदान के लिए अपने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को ऑफर करेगी।
* **14.02.2020** को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित # **14.02.2020** को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

निवेशक के लिए विकल्प #	11ख	कंपनी द्वारा ऑफर की गई प्रतिभूतियों में अंशदान कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या किसी डिपोजिटरी में रखने का विकल्प होगा । ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रतिभूति का लाभार्थी मालिक है किसी भी समय किसी डिपोजिटरी जिसे विधि द्वारा ऐसी प्रतिभूति रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई हो, का विकल्प चुन सकता है और कंपनी डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 के द्वारा निर्धारित तरीके एवं समय-सीमा के भीतर लाभार्थी मालिक को प्रतिभूतियों के अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करेगी । यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभूतियों को डिपोजिटरी में रखने का विकल्प चुनता है तो अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी बात के होते हुए भी कंपनी उस डिपोजिटरी को प्रतिभूति के आबंटन के विवरण देगी और सूचना प्राप्त होने पर डिपोजिटरी प्रतिभूति के लाभार्थी मालिक के रूप में आबंटिती का नाम अपने अभिलेख में दर्ज करेगी ।
डिपोजिटरी में प्रतिभूति प्रतिस्थापित रूप में होंगी #	11ग	डिपोजिटरी में सभी प्रतिभूतियां डिमैटिरियलाइज्ड होंगी और प्रतिस्थापित रूप में होंगी । अधिनियम एवं धारा 88 एवं 89 में किसी बात के न होते हुए भी लाभार्थी मालिकों की ओर से रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में डिपोजिटरी पर लागू होंगी ।
डिपोजिटरी एवं लाभार्थी मालिकों के अधिकार #	11घ	(i) अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी बात के होते हुए भी डिपोजिटरी को लाभार्थी मालिक की ओर से प्रतिभूति के मालिकाना हक के अंतरण को प्रभावित करने के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में माना जाएगा । (ii) उपर्युक्त (i) में दिए अनुसार डिपोजिटरी को प्रतिभूतियों के पंजीकृत मालिक के रूप में अपने पास रखी गई प्रतिभूतियों के संबंध में कोई वोटिंग का अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होगा । (iii) कंपनी की प्रतिभूतियां रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और जिसका नाम डिपोजिटरी के अभिलेखों में लाभार्थी मालिक के रूप में दर्ज है, वह कंपनी का सदस्य/डिबेंचर धारक, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा । प्रतिभूतियों का लाभार्थी मालिक सभी अधिकारों एवं लाभों का पात्र होगा और डिपोजिटरी में रखी गई अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी देयताओं के अध्यधीन होगा ।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

दस्तावेजों का रखरखाव #	11ड़	अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी यदि प्रतिभूतियां किसी डिपोजिटरी में रखी जाती हैं तो लाभार्थी मालिक का रिकार्ड उस डिपोजिटरी के द्वारा कंपनी को इलेक्ट्रानिक मोड या अन्य किसी तरीके से जो कि व्यवहार्य हो, में तामील किया जाएगा।
डीमेट प्रारूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण / हस्तांतरण #	11च	अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी बात के न होने पर भी प्रतिभूतियों के अंतरण या हस्तांतरण पर लागू होगी यदि कंपनी ने कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है और यदि ऐसे शेयर या डिबेंचर या प्रतिभूतियां किसी डिपोजिटरी में इलेक्ट्रानिक और प्रतिस्थापित रूप में रखी गई हैं। ऐसे मामलों में डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
डिपोजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियों का आबंटन #	11छ	अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी निर्गत करने के बाद यदि प्रतिभूतियां डिपोजिटरी के द्वारा रखी जाती हैं तो कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन पर तत्काल डिपोजिटरी को उनके विवरण देगी।
डिपोजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियों की विशेष संख्या #	11ज	कंपनी के द्वारा जारी प्रतिभूतियों की विशेष संख्या की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम या इन अंतर्नियमों में किसी बात के न होने पर भी उक्त संख्या डिपोजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियों पर लागू होगी।
		पूंजी की वृद्धि, कमी एवं परिवर्तन
पूँजी की वृद्धि	12	राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति की अनुमति के अधीन तथा अधिनियम के प्रावधान के अधीन, आम बैठक में कम्पनी, शेयर पूँजी को शेयरों में विभाजित की जाने वाली ऐसी राशि, जो पारित संकल्प के अनुसार निर्धारित होगी, द्वारा बढ़ा सकती है।
डिबेंचर जारी करने की शर्तें #	12क	डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां रियायत, प्रीमियम या अन्यथा जारी किए जा सकते हैं और इस शर्त पर जारी किए जा सकते हैं कि वे किसी मूल्य वर्ग के शेयरों में परिवर्तनीय हों और प्रतिदान, अभ्यर्पण, शेयरों का आबंटन, आम सभा में उपस्थिति (लेकिन वोटिंग के लिए नहीं), निदेशकों की नियुक्ति और अन्यथा जैसे विशेषाधिकार या दशाओं के साथ जारी किए जा सकते हैं। परिवर्तन के अधिकारों के साथ डिबेंचर और शेयरों के आबंटन आम बैठक में विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की सहमति से ही जारी किए जाएंगे।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

किन शर्तों पर नए शेयर जारी किए जा सकते हैं *	13	नए शेयरों को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर तथा उसके साथ जुड़े ऐसे अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जाएगा जैसा कि आम बैठक संकल्प लेती है । बशर्तें कि ऐसा कोई भी शेयर (अधिमान्य शेयर न हो) जारी नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा लाभांश, पूँजी या अन्यथा के रूप में कम्पनी मेंवोटिंग का अधिकार या अन्य अधिकार प्राप्त होते हों, जो अन्य शेयरों (अधिमान्य शेयर न हों) के धारकों के साथ जुड़े अधिकार के विषमानुपाती हो ।
शेयरों को आगे जारी करना #	13क	1(क) आगे ऐसे शेयर ऐसे व्यक्तियों को ऑफर किए जाएंगे जो ऑफर की तारीख को शेयरों पर प्रदत्त पूंजी से स्वीकारणीय अवस्था के नजदीकी अनुपात में कंपनी में शेयरों के ईक्विटी धारक हों । (ख) ऐसे ऑफर नोटिस द्वारा दिए जाएंगे । नोटिस में ऑफर किए गए शेयरों की संख्या और समय सीमा निर्धारित की जाएगी । यह समय सीमा ऑफर की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक नहीं होगी और यदि ऑफर स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो उन्हें अस्वीकार किया गया माना जाएगा । (ग) उपर्युक्त ऑफर में संबंधित व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकार को शामिल किया गया माना जाएगा जिसमें वह उसे आफर किए गए या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उनमें से कुछ शेयरों को इन्कार करने का अधिकार होगा और इसके बाद उपखंड में दिए गए नोटिस में इस अधिकार का विवरण शामिल है। (घ) उपर्युक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद या उस व्यक्ति से जिसे नोटिस दिया गया है, यह सूचना प्राप्त होने पर कि वह उसे ऑफर किए गए शेयरों को स्वीकार करने से इन्कार करता है तो निदेशक मंडल उनका इस प्रकार निपटारा कर सकते हैं जैसा कि वे कंपनी के अधिकतम हित में समझे और अपने पूर्ण विवेक से उन्हें ऐसे व्यक्तियों को बेच सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझते हों । 2. उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी उपर्युक्त शेयर आगे किसी व्यक्ति को ऑफर किए जा सकते हैं । उन व्यक्ति में यहां उपखंड (1) (क) में शामिल व्यक्ति होंगे या नहीं, इसका निर्णय आम बैठक में कंपनी के द्वारा इस आशय के लिए परित विशेष संकल्प के अध्यधीन होगा । 3. उपखंड (ग) के (1) में कोई बात निम्नानुसार मान्य जाएगी: (क) समय-सीमा का विस्तार जिसके भीतर ऑफर स्वीकार किए जाने थे, या

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

		(ख) दूसरी बार अस्वीकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना, इस आधार पर कि वह व्यक्ति जिसके प्रथम बार शेयरों को लेने से अस्वीकार करने को निरस्त कर दिया गया था। 4. इस अंतर्नियम में कुछ भी कंपनी की अंशदायी पूंजी को बढ़ाने में लागू नहीं होगा जो कि जारी किए गए डिबेंचरों के लिए दिए गए विकल्प का प्रयोग या कंपनी में शेयरों में ऐसे डिबेंचर या ऋण को परिवर्तित करने के लिए कंपनी के द्वारा ऋण लिए जाते हैं । बशर्ते कि ऐसे डिबेंचरों के जारी करने की शर्तों या ऐसे ऋणों की शर्तों में ऐसे विकल्प के लिए कोई शर्त शामिल हो और ऐसी शर्त आम बैठक में कंपनी के द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के द्वारा ऐसे डिबेंचरों को जारी करने या ऋण लेने से पूर्व अनुमोदित हो गई हो ।
वर्तमान सदस्यों को शेयर्स कब ऑफर किए जाते हैं	14	नए शेयर (पूंजी के पूर्व कथनानुसार बढ़ने के फलस्वरुप) अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के अनुसार जारी या निपटान किए जा सकते हैं ।
नए शेयर मूल पूंजी के समान होंगे *	15	जारी करने की शर्तों या इन अंतर्नियमों द्वारा अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, नए शेयरों के सृजन से बनी कोई भी पूँजी मूल पूँजी का भाग मानी जाएगी और मांग एवं किस्तों का भुगतान, अंतरण एवं हस्तांतरण, जब्ती, ग्रहणाधिकार, अभ्यर्पण, वोटिंग एवं अन्यथा के सन्दर्भ में यहाँ निहित प्रावधानों के अध्यधीन होगी।
पूँजी की घटोत्तरी आदि *	16	अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अध्यधीन कम्पनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा पूँजी को चुकता कर या खोई गई पूंजी को निरस्त कर या उपलब्ध आस्तियों द्वारा अप्रतिनिधित्व में या इसके अतिरिक्त होने पर या शेयरों पर देयता को घटाते हुए या अन्यथा, जैसा समयोचित लगे, अपनी पूँजी को घटा सकती है तथा पूँजी का भुगतान इस आधार कर किया जा सकता है कि इसकी पुन: या अन्यथा, मांग की जा सके और बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऐसे शेयरों का अभ्यर्पण स्वीकार कर सकता है ।
शेयरों का उप-विभाजन और समेकन *	17	अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों के अध्यधीन, कम्पनी, आम बैठक में, समय-समय पर अपने शेयरों या उनमें से किसी को भी उप-विभाजित या समेकित कर सकती है और उसमें प्रदत्त अन्य शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकती है ।

* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		ऋण लेने की शक्ति
ऋण लेने की शक्ति *	18	अधिनियम की धारा 73 से 76, 179 एवं 180 के प्रावधानों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन के अध्यधीन, मंडल समय-समय पर मण्डल की बैठक में पारित संकल्प के साधन द्वारा कम्पनी के प्रयोजन के लिए डिपॉजिट्स को स्वीकार कर सकता है या किसी राशि या धनराशि को उधार एवं/या भुगतान सुरक्षित कर सकता है।
विशेष छूट आदि या विशेषाधिकारों के साथ जारी करना *	19	अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, कोई भी बॉण्ड या अन्य प्रतिभूतियां छूट, प्रीमियम या अन्यथा पर, तथा शेयरों के विमोचन, अभ्यर्पण, आहरण और आवंटन के किसी विशेषाधिकार के साथ जारी किया जा सकता है।
आम बैठकों की सूचना	20	(क) प्रत्येक सदस्य को अधिनियम में किए गए प्रावधान द्वारा प्रदत्त विधि से बैठक में किए जाने वाले कारोबार के वक्तव्य सहित आम बैठकों का स्थान, दिन, एवं समय स्पष्टरूप से बताते हुए, लिखित रूप में कम से कम 21 दिनों का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आम बैठक अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार, ऐसे सदस्यों की लिखित सहमति के साथ, कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। (ख) वार्षिक आम बैठकों से इतर सभी आम बैठकें विशेष आम बैठकें कही जाएँगी।
नोटिस देने मे चूक पारित संकल्प पारित को अविधिमान्य नहीं करती	21	नोटिस देने में आकस्मिक चूक या किसी सदस्य द्वारा इसकी प्राप्ति न होना ऐसी किसी बैठकों में पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करती है।
गणपूर्ति	22	व्यक्तिगत रुप से उपस्थित पाँच सदस्य कम्पनी की आम बैठक के लिए गणपूर्ति गठित करते हैं।
आम बैठक का अध्यक्ष	23	अध्यक्ष प्रत्येक आम बैठक की अध्यक्षता करने का पात्र है लेकिन यदि ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है या अध्यक्षता करने का अनिच्छुक है तो उपस्थित सदस्य अन्य निदेशक को अध्यक्ष के रुप में चुनेंगे तथा यदि कोई भी निदेशक उपस्थित नहीं होता है या सभी निदेशक अध्यक्षता करने से अस्वीकार करते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।
अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम	24	किसी बैठक का अध्यक्ष उस बैठक में डाले गए हर एक मत की वैधता का एक मात्र निर्णायक होगा। मतदान करते समय उपस्थित अध्यक्ष उस बैठक में डाले गए हर एक मत की वैधता का एक मात्र निर्णायक होगा
* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

		सदस्यों के मत
मत	25	मतदान करने का पात्र प्रत्येक सदस्य जो व्यक्तिगत रुप से या प्रॉक्सि द्वारा उपस्थित है, उसका हाथ खड़ा करने पर एक मत होगा और मतदान होने पर उसके द्वारा धारण किए प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।
मृतक सदस्य के शेयरों के संबंध में मत	26	किसी भी शेयर को हस्तांतरित करने के लिए हस्तांतरण खण्ड के अध्यधीन कोई व्यक्ति उसके सन्दर्भ में किसी आम बैठक में मतदान कर सकता है मानो कि वह ऐसे शेयरों का पंजीकृत धारक है बशर्ते बैठक या स्थगित बैठक, जैसा भी मामला हो, जिसमें वह मतदान करना प्रस्तावित करता है, के शुरू होने के 72 घंटे पूर्व, वह निदेशकों को ऐसे शेयरों को हस्तांतरित करने के अपने अधिकार के बारे में संतुष्ट करेगा, जब तक कि इस संबंध में निदेशकों ने उसके ऐसी बैठक में मताधिकार को पूर्व में स्वीकार न कर लिया हो।
प्रॉक्सि का प्रपत्र	27	(क) किसी विशिष्ट बैठक या अन्यथा के लिए प्रॉक्सि का लिखित दस्तावेज, जितना निकटतम संभव परिस्थितियों तक स्वीकृत हो, निम्न रूप और प्रभाव में होगाः (ख) अधिनियम की धारा 101 से 109 के प्रावधान, जिन्हें यहाँ विशिष्ट रुप से सम्मिलित नहीं किया गया है, आम बैठकों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड
प्रॉक्सि का प्रपत्र

मैं...का सदस्य एतद्द्वारा...के श्री... इनके विफल रहने पर ....के श्री ....को ....के दिन को होने वाली कम्पनी की वार्षिक/असाधारण आम बैठक में तथा उसके किसी स्थगन पर मेरे लिए और मेरी ओर से उपस्थित होने और मत करने के लिए अपने प्रतिनिधि (प्रॉक्सि) के रूप में नियुक्त करता हूँ।

साक्षी के रूप में ....के ....दिन उक्त ....द्वारा हस्ताक्षरित

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

पंजीकृत धारकों के अलावा कम्पनी शेयरों में किसी अन्य के हित को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं	28	इसमें अन्यथा दिए गए को छोड़कर, निदेशक उस व्यक्ति को जिसका नाम शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दर्शित है इसका पूर्ण मालिक मानने के पात्र होंगे तथा तदनुसार ऐसे शेयर में (सक्षम कार्यक्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आदेशित या जैसा विधि द्वारा आवश्यक हो, को छोड़कर) किसी बेनामी ट्रस्ट या समान प्रासंगिक या अन्य दावे या हित को किसी व्यक्ति की तरफ से चाहे उसे इसका व्यक्त या निहित नोटिस हो या नहीं, मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल द्वारा	29	कम्पनी का व्यापार निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा ।
निदेशकों की संख्या	30	(1) राष्ट्रपति समय-समय पर कम्पनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेंगे जो सात सदस्यों से कम तथा 15 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। (2) खण्ड (3) के प्रावधान के अधीन कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे। (3) कम्पनी के निदेशक पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। बशर्ते कि अंशकालिक निदेशकों की संख्या, किसी भी समय, निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नही होगी। और बशर्ते कि ऐसे अंशकालिक निदेशकों की संख्या जो कि अंशकालिक निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई के बराबर हो, किन्तु किसी भी स्थिति में दो से कम नहीं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक	31	(i) पूर्णकालिक निदेशकों को ऐसे वेतन एवं/या भत्ते दिए जाएँगे जो समय-समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते है। अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, किसी एक या अधिक निदेशकों को उसके या उनके द्वारा की गई या अन्यथा अतिरिक्त विशेष सेवाओं के लिए ऐसे उचित पारिश्रमिक दिए जाएँगे जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएँ। (ii) अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति उन शर्तों एवं निबन्धनों के अध्यधीन होगी जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएँगी। (iii) यदि मृत्यु होने, पद से हटाने या त्यागपत्र देने या अन्यथा कारण से प्रबंध निदेशक का पद खाली होता है, तो जब तक अंतर्नियमों के तहत नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक प्रबंध निदेशक के कार्यों को करने के लिए, राष्ट्रपति किसी ऐसे निदेशक को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त कर सकते हैं । (iv) कम्पनी की प्रत्येक तीसरी वार्षिक आम बैठक में पूर्णकालिक

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत्ति		के अलावा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक निदेशक एवं सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला निदेशक कार्यालय से सेवानिवृत्त होगा । सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक पुनर्नियुक्त का पात्र होगा। (v) भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला निदेशक उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग में अधिकारी के पद पर न रहने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। (vi) राष्ट्रपति समय-समय पर किसी भी समय किसी भी अंशकालिक निदेशक को उसके कार्यालय से हटा सकता है। प्रबन्ध निदेशक सहित अध्यक्ष एवं पूर्ण कालिक निदेशकों को, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार यदि ऐसी कोई शर्तें निर्दिष्ट नहीं हैं तो राष्ट्रपति द्वारा लिखित रूप से जारी नोटिस के '6 माह' समाप्त होने पर या नोटिस अवधि के बदले वेतन के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से, कार्यालय से हटा सकता है। (vii) निदेशकों की अयोग्यता एवं निदेशक के कार्यालय की रिक्ति के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 एवं 167 के प्रावधान लागू होंगे ।
वैकल्पिक निदेशक	32	ऐसा निदेशक जो भारत से बाहर गया हो या भारत से बाहर जाने वाला हो और जिसके उस राज्य से जहाँ सामान्य रुप से निदेशक मण्डल की बैठकें होती है कम से कम तीन माह के लिए अनुपस्थित रहने की अपेक्षा हो, उसके स्थान पर राष्ट्रपति कम्पनी के अध्यक्ष के परामर्श से उसकी भारत से बाहर रहने पर अनुपस्थिति या उस राज्य से जहाँ सामान्य रुप से निदेशक मण्डल की बैठकें होती है कम से कम तीन माह के लिए अनुपस्थिति के दौरान किसी वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति कर सकता है और ऐसा नियुक्त किया गया व्यक्ति, जब तक वैकल्पिक निदेशक का कार्यालय धारण करता है तब तक मण्डल की बैठकों का नोटिस प्राप्त करने और तदनुसार उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र होगा।
शक्तियों का प्रत्यायोजन	33	अधिनियम की धारा 179 एवं 180 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मण्डल वर्तमान के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक को समय-समय पर ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें यह उचित समझे, सौंप सकता है और ऐसी शक्तियाँ ऐसे समय तथा ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु और ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों एवं प्रतिबन्धों के साथ जैसा इसे समयोचित समझे, सौंप सकता है और समय-समय पर सभी या ऐसी किसी भी शक्ति को रद्द कर सकता है, वापस ले, पलट या बदल सकता है।
मिनी रत्न/नवरत्न कंपनियों के लिए दिशानिर्देशों / विनियमों के अध्यधीन शक्तियाँ	33 (क)	मिनी रत्न/नव रत्न कम्पनियों को नियंत्रित करने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग या भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुबन्धों, मार्गदर्शनों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों के पालन के अधीन दी गई तथा मण्डल/अध्यक्ष पर ऐसी हैसियत से, मिनी रत्न कंपनियों पर लागू सभी शक्तियों और सभी ऐसी शक्तियों जो नव रत्न कंपनियों पर लागू होती हैं का उपयोग करेगा।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

अध्यक्ष की शक्तियाँ	34	(क) अध्यक्ष निदेशक मण्डल के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय को या मण्डल के सम्मुख लाए गए किसी मामले को, जो अध्यक्ष की राय में किसी महत्वपूर्ण मामले को उठाता है और जो उस हिसाब से राष्ट्रपति के निर्णय (जो आवश्यक होने पर राज्यपाल के साथ परामर्श से निर्णय लेंगे) के लिए आरक्षित किए जाने योग्य है को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित करेगा और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा । (ख) उपर्युक्त प्रावधानों की व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले मण्डल (निम्नलिखित से) सम्बन्धित किसी मामले को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगाः (i) लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(24)/2003-जीएम-जीएल-65, दिनांक 05 अगस्त, 2005 के साथ पठनीय या समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/36/97-वित्त, दिनांक 09 अक्टूबर, 1997 में निर्धारित 500 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय का कोई कार्यक्रम । (ii) विदेशी सहयोग को शामिल करने वाला कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अनुबन्ध । (iii) कम्पनी का राजस्व बजट यदि इसमें जिसमें घाटे का कोई तत्व है जिसे सरकार से कोष प्राप्त कर पूरा करना प्रस्तावित है। (iv) कम्पनी के पूंजीगत बजट के विकास के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय वार्षिक योजना । (v) कम्पनी का समापन (vi) कम्पनी के समस्त या काफी हद तक समस्त उपक्रम को बेचना, पट्टे पर देना, निपटाना या अन्यथा । (vii) लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(24)/2003-जीएम-जीएल-65, दिनांक 05 अगस्त, 2005 के साथ पठनीय या समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/36/97-वित्त, दिनांक 09 अक्टूबर, 1997 में प्रावधान नहीं किए गए सहायक कम्पनियाँ, संयुक्त उपक्रम, रणनीतिक गठजोड़ का निर्माण ।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

निर्देश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ	35	इन अनुच्छेदों में निहित किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति समय-समय पर कम्पनी के व्यापार तथा कम्पनी मामलों के आचरण के सम्बन्ध में आवश्यक समझे जाने वाले दिशा-निर्देश या निर्देशों को जारी कर सकते है तथा उसी तरह ऐसे किसी निर्देश/निर्देशों को परिवर्तित या रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार जारी निर्देशों को निदेशक तत्काल प्रभाव से लागू करेगें। विशेष रुप से राष्ट्रपति को (निम्नलिखित) शक्तियाँ प्राप्त हैं- (i) राष्ट्रीय सुरक्षा या ठोस जनहित के मामलों में कम्पनी को निर्देश देना ताकि इन कार्यों के पालन एवं निष्पादन को कार्यान्वित किया जा सके। (ii) जैसा कि समय-समय पर वांछित हो कम्पनी की सम्पत्ति और गतिविधियों के संबंध में ऐसे विवरण (रिटर्न), खाते या अन्य सूचना की मांग करना । (iii) पूर्ण या अंशतः स्वामित्वधारी कम्पनी(यों), या सहायक कम्पनी(यों) का उनकी अंश-पूँजी में प्रतिभागिता करने सहित, प्रावधान करना, चाहे ऐसी कम्पनियों के प्रचालन का वित्त पोषण किसी भी स्रोत से किया जाना हो। (iv) कंपनी की वार्षिक, लघु और दीर्घावधि के वित्तीय और आर्थिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ परामर्श करना। (v) भागीदारी में प्रवेश करने और/अथवा लाभ की हिस्सेदारी के लिए प्रबन्ध करने के बारे में निर्णय लेना। बशर्ते राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी निर्देश लिखित रूप में अध्यक्ष को संबोधित होंगे । मण्डल, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ राष्ट्रपति के विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए अन्यथा वांछित है, निर्देशों की सामग्री को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा और कम्पनी की वित्तीय स्थिति में इसके प्रभाव को भी दर्शाएगा।
	36	राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु आरक्षित निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय पर तब तक कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उनका अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो । राष्ट्रपति को निदेशकों के ऐसे प्रस्ताव या निर्णय को बदलने का अधिकार होगा ।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

निदेशक/अधिकारी कम्पनी द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों के निदेशक हो सकते हैं।	37	इस कम्पनी का निदेशक या अधिकारी इस कम्पनी द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों या जिसमें विक्रेता सदस्य के रूप में या अन्यथा इच्छुक हो का कोई निदेशक हो या बन सकता है और ऐसा कोई भी निदेशक ऐसी कम्पनी से निदेशक या सदस्य के रूप में प्राप्त लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
नोटिस देने में चूक	38	किसी निदेशक को निदेशकों की किसी बैठक का नोटिस देने में हुई आकस्मिक चूक ऐसी किसी बैठक में पारित संकल्प को अविधिमान्य नहीं करेगी।
मण्डल की बैठक में प्रश्नों पर निर्णय कैसे होता है	39	कोई निदेशक किसी भी समय निदेशकों की बैठक बुला सकता है। किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की समानता होने की स्थिति में, अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
मण्डल की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है	40	निदेशकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा, यदि उपस्थित है, या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा, यदि उपस्थित है, की जाएगी। यदि किसी बैठक में इसे आयोजित करने के निर्धारित समय पर अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक दोनों उपस्थित नहीं हैं, तो निदेशक उस समय उपस्थित निदेशकों में से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।
मण्डल की बैठकों के लिए गणपूर्ति #	40 क	अधिनियम की धारा 174 में दिए गए अनुसार निदेशकों के व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई (ऐसे एक तिहाई में कोई विचलन होने पर को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, होगी। ऐसे निदेशकों की गणना भी कोरम में की जाएगी जो वीडियो कांफ्रेंसिंग या ऑडियो व्यूजवल तरीके से भाग ले रहे हैं।
मण्डल समितियाँ स्थापित कर सकता है	41	अधिनियम की धारा 179 और 180 के प्रावधानों के अध्यधीन, बोर्ड अपनी किसी भी शक्ति को ऐसे सदस्य या सदस्यों की समिति या इसके निकाय, जैसा यह उचित समझता है, को प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे वह कोई अधिकार प्रदान कर सकता है तथा समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजन को रद्द कर सकता है। इस प्रकार बनी कोई भी समिति, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग ऐसे विनियमों के अनुरूप करेगी जो समय-समय पर निदेशकों द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएँगे। ऐसी समिति की कार्यवाही निदेशक मण्डल के सम्मुख इसकी अगली बैठक में रखी जाएगी।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

समितियों की बैठकें किस प्रकार सुशासित होती हैं *	42	किसी समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों को निदेशकों की बैठकों एवं कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा सुशासित किया जाएगा, जहाँ तक ये उस पर लागू होते हैं।
समितियों की बैठको के अध्यक्ष	43	समिति अपनी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है या यदि किसी बैठक के निर्धारित समय के बाद 15 मिनट के अन्दर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।
मण्डल की सामान्य शक्तियाँ	44	निदेशक मण्डल कम्पनी के गठन एवं पंजीकरण करने में हुए व्यय का भुगतान कर सकते है।
निदेशकों को दी गई विशिष्ट शक्तियाँ	45	अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इन अंतर्नियमों के द्वारा दिए गए सामान्य अधिकारों में बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, निदेशकों को निम्न शक्तियाँ होंगी अर्थात अधिकार होंगे :-
उपनियम बनाने के लिए		(1) कम्पनी के व्यवसाय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए इसके समय-समय पर उप नियम बनाना, परिवर्तित एवं निरस्त करना;
भुगतान करना एवं ब्याज प्रभारित करना आदि		(2) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी के पूँजी खाते में उस कानूनन देय पर ब्याज का भुगतान और प्रभार करना;
सम्पत्ति का अधिग्रहण करना		(3) कम्पनी की सम्पत्ति के लिए जिन अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को अधिग्रहीत करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है उन्हें ऐसे मूल्य एवं सामान्यतः ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों पर क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अधिग्रहीत करना जैसा वे उचित समझें;
डिबेंचरों में सम्पत्ति के लिए भुगतान करना		(4) कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत की गई किसी सम्पत्ति या अधिकार या कम्पनी को दी गई सेवा के लिए या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से नगद, या शेयर्स, बाण्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स स्टॉक में या पूर्णतः भुगतान किए गए शेयर्स में या ऐसी राशि के साथ जो उन पर जमा की जा चुकी है, जैसी भी सहमति बने, भुगतान करना, और ऐसे किसी भी बाण्ड्स, ऋणपत्र, डिबेंचर्स स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों को विशेषरूप से या तो कम्पनी की समस्त सम्पत्ति पर या किसी भी हिस्से पर और इसके आहवान न की गई पूँजी पर प्रभारित किया जा सकता है या प्रभारित नहीं किया जा सकता है;
बंधक द्वारा संविदाओं को सुरक्षित करना		(5) कम्पनी द्वारा किसी संविदा या बंधक (मॉर्टगेज) या कम्पनी की किसी या समस्त सम्पत्ति पर प्रभार तथा फिलहाल भुगतान न की गई पूँजी या किसी अन्य तरीके से जिसे वह उचित समझती है, द्वारा की गई किसी भी संविदा या वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए पूरा करना।
* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

माध्यस्थम को अग्रेषित करना		(6) कम्पनी द्वारा या के उसके विरुद्ध किसी दावे या माँग को माध्यस्थम को अग्रेषित करना तथा अवार्ड पर विचार करना एवं उसका निष्पादन करना;
धन निवेश करना		(7) कंपनी की ऐसी धनराशि, जिसकी किन्हीं प्रतिभूतियों में तत्काल आवश्यकता न हो का किसी भी मुद्रा में इस प्रकार निवेश करना और उसका सौदा करना जैसा कि वे समय-समय पर उचित समझें तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण के अध्यधीन ऐसे निवेशों में परिवर्तन करना एवं वसूलना ।
बोनस देना भविष्यनिधि का निर्माण करना		(8) भवनों, आवासों या चाल के निर्माण या निर्माण में योगदान द्वारा या धन, भत्तों, बोनस, लाभ हिस्सेदारी बोनस या अन्य भविष्य निधि और अन्य संघ, संस्था निधि का निर्माण कर और समय-समय पर अभिदान या अंशदान द्वारा, लाभ में हिस्सेदारी या अन्य योजना या न्यास द्वारा या निर्देशों, मनोरंजन, चिकित्सालय और औषधालय, चिकित्सकीय और अन्य शुश्रूषा तथा किसी अन्य प्रकार की सहायता, कल्याण या राहत जैसा निदेशक ठीक समझें, द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या व्यापार में लगे पूर्ववर्तियों तथा ऐसे कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों की पत्नियों, विधवाओं एवं परिवारों या आश्रितों या सम्बन्धियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना;
अन्य निधियों में अभिदान करना		(9) वैज्ञानिक संस्थानों या उद्देश्यों में अभिदान करना या अन्यथा सहायता करना या धन की गारंटी करना;
मूल्यह्रास तथा अन्य निधियों का प्रावधान करना		(10) कम्पनी के लाभ में से किसी लाभांश की संस्तुति करने से पूर्व ऐसी राशि को, जैसा वे उचित समझें, मूल्यह्रास या मूल्यह्रास निधि के लिए, आरक्षित या आरक्षित निधि हेतु आकस्मिकताओं को पूरा करने या बीमा निधि या किसी विशेष या आकस्मिकताओं को पूरा करने हेतु अन्य निधि के लिए या विमोचनीय अधिमान शेयरों के पुनर्भुगतान के लिए और विशेष लाभांश के लिए तथा लाभांशों को बराबर करने के लिए तथा मरम्मत करने और बदलने, सुधारने, बढाने तथा कम्पनी की सम्पत्ति के किसी हिस्से के अनुरक्षण के लिए तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों (उप-खंड-ix में सन्दर्भित प्रयोजनों सहित) के लिए जैसा कि निदेशक अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हित के अनुकूल उचित समझें, अलग करना तथा इस प्रकार अलग की गई कई राशियों या तत्संबंधी उतने का जिसकी ऐसे निवेशों के लिए आवश्यकता हो (अधिनियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन) जैसा निदेशक (उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन) अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हित के अनुकूल उचित समझें, निवेश करना और समय-समय पर ऐसे निवेशों में व्यवहार और परिवर्तन करना और कम्पनी के हित में ऐसे तरीके तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा निदेशक उचित समझें, तत्संबंधी समस्त या कुछ अंश को निपटाना और अनुप्रयोग करना तथा

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

		खर्च करना इसके बावजूद कि जिस मामले में निदेशक लागू कर रहे हैं या जिस पर वे खर्च कर रहे हैं वह या उसका कुछ अंश ऐसा मामला हो सकता है जिसे या जिस पर कम्पनी का पूँजी धन सही ढंग से लागू या खर्च किया जा सकता है और आरक्षित निधि को ऐसे विशेष निधि में विभाजित करना जैसा निदेशक उचित समझें और उपरोक्त मूल्यह्रास निधि सहित समस्त या किसी निधियों का गठन करने वाली आस्तियों को कम्पनी के व्यवसाय में या विमोचनीय अधिमान शेयरों के क्रय या पुनर्भुगतान में नियोजित करना और यह कि इसे अन्य आस्तियों से अलग रखने के बंधन के बिना और इस पर ब्याज के भुगतान करने या अनुमत करने के बंधन के बिना, हालांकि, निदेशकों को उनके विवेक पर ऐसे निधि ब्याज को ऐसी दर से जिसे निदेशक ठीक समझें, जो छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न हो, भुगतान करना या जमा करना अनुमत करने की शक्ति सहित;
पदों का सृजन करना		(11) कम्पनी मामलों के प्रभावीपूर्ण संचालन के लिए, ऐसे पदों, उन पदों को छोड़कर जिन पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, का सृजन करना जैसा वे आवश्यक मानते हैं और ऐसे पदों पर नियुक्ति करना तथा ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों की सेवा के नियमों और शर्तों का निर्धारण करना;
अधिकारियों की नियुक्ति करना		(12) ऐसे समस्त प्रबन्धकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, अभिकर्ताओं एवं कर्मचारियों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवाओं में नियुक्त करना और अपने विवेकाधिकार से उन्हें हटाना या निलंबित करना, जैसा वे समय-समय पर ठीक समझें तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना एवं उनके वेतनों या परिलब्धियों को नियत करना तथा ऐसे मामलों में प्रतिभूति एवं ऐसी राशि को जिसे वे उचित समझते है आवश्यक करना तथा जैसा उपर्युक्त पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले समय-समय पर भारत में किसी भी निर्दिष्ट स्थान में कम्पनी के प्रबन्धन एवं लेन-देन के मामलों का प्रावधान करना, जैसा वे उचित समझते हों;
		(13) अधिनियमों की धारा 179 एवं 180 के अध्यधीन, फिलहाल निदेशकों में समाहित समस्त या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेक को उप-प्रत्यायोजित करना, हालांकि, अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार इनमें ही समाहित रहने के अध्यधीन हों;

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

प्रधिकारी जिसे शक्तियां उप-प्रत्यायोजन करना है		(14) ऐसा कोई भी प्रत्यायोजन या एटोर्नी जैसा पहले कहा गया है निदेशकों के द्वारा उप-प्रत्यायोजित किया जा सकता है या उसमें विहित कुछ समय के लिए किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेकधिकार हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है;
धन उधार देना		(15) ऐसे नियम और शर्तों पर जैसा वे वांछनीय समझे, सहायक कम्पनियों और सम्बद्ध संगठनों को धन उधार देना;
विदेश में संयुक्त उपक्रमों/सहायक कम्पनियों को बनाना		(16) समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशनों के अनुपालन के अध्यधीन, भारत और विदेश में संयुक्त उपक्रमों और सहायक कम्पनियों को स्थापित करना।
		मुहर
मुहर एवं उसकी अभिरक्षा	46	(क) निदेशक मण्डल कम्पनी के लिए एक आम मुहर का प्रावधान करेगा और समय-समय पर उसे नष्ट करने तथा इसके बदले में नई मुहर को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा। निदेशक मण्डल मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
मुहर जारी करना *		(ख) कम्पनी की मुहर बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति के संकल्प के सिवाय या कम से कम एक निदेशक या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे बोर्ड/समिति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करे, की उपस्थिति के सिवाय किसी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी और निदेशक या उपर्युक्त कोई अन्य व्यक्ति अपनी उपस्थिति में लगाई गई मुहर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि कोई निदेशक किसी शेयर/डिबेंचर पर अपने हस्ताक्षर किसी मशीन, उपकरण या अन्य मैकेनिकल तरीके जैसे धातु में इंग्रेविंग या लिथोग्राफी के द्वारा कर सकता है परन्तु रबर स्टाम्प के साधन से नहीं, बशर्ते कि निदेशक इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऐसे मशीनी उपकरण या अन्य धातु की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
		लाभों एवं लाभांश का विभाजन
लाभों का विभाजन *	47	(i) लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ इन दस्तावेजों के द्वारा निर्मित हुए या निर्मित होने के लिए प्राधिकृत के सिवाय किसी विशेष अधिकार और अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे तथा ये दस्तावेज आरक्षित निधि एवं ऋण की अदायगी हेतु पूंजी के रूप में क्रमश: उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी की राशि के अनुपात में सदस्यों के मध्य विभाजित किए जाने योग्य होंगे। बशर्ते कि हमेशा (उपर्युक्त के अध्यधीन) उस अवधि के दौरान जिसके लिए लाभांश घोषित किया गया है, किसी शेयर पर कोई प्रदत्त पूंजी केवल ऐसे शेयर धारक को भुगतान की तारीख से ऐसे लाभांश के विभाजन की धनराशि का पात्र बनाएगी।
* 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा संशोधित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

		(ii) अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसरण में मूल्यह्रास के लिए राशि उपलब्ध कराने के बाद उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभों या लागू कानूनों एवं शेष अवितरित के अनुसरण में मूल्यह्रास के लिए राशि उपलब्ध कराने के बाद किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों में कंपनी के लाभों में से या दोनों में से या सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसरण में लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशियों के सिवाय कंपनी के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की घोषण या अदायगी नहीं की जाएगी । लाभांश पर कंपनी के द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । (iii) अंतिम पूर्ववर्ती अंतर्नियम के उद्देश्य के लिए लाभांश की घोषणा कंपनी के लाभों की धनराशि के रूप में निर्णायक होगी । (iv) अधिनियम की धारा 123 एवं यथासंशोधन के प्रावधानों के अनुसार नगदी के सिवाय कोई लाभांश देय नहीं होगा । (v) शेयरों का कोई अंतरण किसी घोषित किए लाभांश के अधिकार को पारित नहीं करेगा जब तक कि अंतरण का पंजीकरण न हो जाए । (vi) किन्हीं शेयरों के संयुक्त धारकों के रूप में पंजीकृत कई व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति ऐसे शेयरों के लाभांश एवं लाभांशों की मद में भुगतान की वैध रसीद दे सकता है । (vii) जब तक कि अन्यथा निर्देशित न हो, लाभांश के भुगतान के पात्र शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान चैक या वारंट या किसी इलेक्ट्रानिक तरीके से किया जा सकता है । चैक या वारंट के द्वारा भुगतान के मामले में इसे पात्र सदस्य या व्यक्ति के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा और संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिसका नाम पहले हो, के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक चैक, डिमांड ड्राफ्ट या वारंट सदस्य या ऐसे व्यक्ति और ऐसे पते पर देय होगा जैसा कि शेयर धारक या संयुक्त शेयर धारक लिखित में निदेशित करते हैं ।
भुगतान न किया गया और दावा न किया गया लाभांश #	47क	यदि कंपनी के द्वारा लाभांश घोषित किया गया है लेकिन लाभांश का भुगतान प्राप्त करने वाले किसी शेयर धारक को घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया या दावा नहीं किया गया तो कंपनी उक्त 30 दिन की अवधि समाप्त होने के तारीख से 07 दिन के भीतर उस लाभांश की कुल राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया या दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा खोले गए विशेष खाते जिसे टीएचडीसी अनपेड डिविडेंट एकाउंट कहा जाएगा, में अंतरित कर देगी ।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

		लगातार 07 वर्षों या अधिक तक भुगतान न किए या दावा न किए गए सभी शेयर कंपनी के द्वारा यथानिर्दिष्ट निवेशक एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन निधि में निवेशक के नाम पर अंतरित कर दिए जाएंगे । भुगतान न किए गए लाभांश खाते में अंतरित सभी धराशि जिसका भुगतान ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के भीतर शेष रहता है या उसका दावा नहीं किया जाता उसको अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन निधि में ब्याज के साथ, यदि कोई हो, अंतरित कर दिया जाएगा । भुगतान न किए गए या दावा न किए गए किसी भी लाभांश की बोर्ड द्वारा जब्ती नहीं की जाएगी ।
कम्पनी आम बैठक में लाभांश घोषित कर सकती है।	48	कम्पनी आम बैठक में सदस्यों को लाभ में उनके अधिकारों और हितों के अनुसार भुगतान किए जाने वाले लाभांशों की घोषणा कर सकती है और भुगतान के लिए समय निर्धारित कर सकती है लेकिन कोई भी लाभांश मण्डल द्वारा संस्तुत राशि से अधिक नहीं होगा।
अंतरिम लाभांश	49	निदेशक समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांशों का भुगतान कर सकते हैं जैसा उनके निर्णयानुसार कम्पनी की स्थिति औचित्यपूर्ण बनाती है।
		लेखा
सदस्यों द्वारा कम्पनी के लेखों एवं बहियों का रखरखाव और निरीक्षण	50	(क) लेखा बहियों को अधिनियम की धारा 128 के अनुसार रखी जाएँगी। (ख) निदेशक समय-समय पर निर्धारित करेंगे कि कम्पनी के लेखा और लेखा पुस्तकें सदस्यों, जो निदेशक नहीं हैं, के निरीक्षण के लिए किस हद तक और किस समय तथा स्थानों पर एवं किन परिस्थितियों या विनियमों के अधीन खुला रखें या नहीं और किसी भी सदस्य (जो निदेशक नहीं हैं) को, सिवाय कानून द्वारा प्रदत्त या मण्डल प्राधिकृत या आम बैठक में कम्पनी द्वारा प्राधिकृत के, कम्पनी के किसी भी लेखा या बहियों या दस्तावेज के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा ।
		लेखा परीक्षा
लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा होनी है	51	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार लेखों या कम्पनी की जाँच की जाएगी तथा एक या अधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लाभ एवं हानि खातों और तुलनपत्र की परिशुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति #	52	कम्पनी के लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाएगी ।
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियाँ	53	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :- (i) ऐसे तरीकों को निर्देशित करना जिससे कम्पनी के लेखा की यहाँ अंतर्नियम 54 के अनुसरण में लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और ऐसे लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों को उसके/उनके प्रकार्यो में इस तरह निष्पादन के मामले में निर्देश जारी करना; और (ii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह अपनी ओर से उचित समझते हों कम्पनी के लेखों की अनुपूरक या जाँच लेखापरीक्षा आयोजित करना तथा ऐसी लेखापरीक्षाओं के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसे रूप में सूचना या अतिरिक्त सूचना दिलवाना जैसा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें; (iii) पूर्वोक्त लेखापरीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा/करेंगे जिसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर उस तरीके से जैसा वह ठीक समझे टिप्पणी करने या अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार होगा; (iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई ऐसी किसी टिप्पणी या अनुपूरक को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के समान कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के सम्मुख रखा जाएगा।
लेखापरीक्षकों का बैठकों में भाग लेने का अधिकार	54	कम्पनी के लेखापरीक्षक कम्पनी की किसी भी आम बैठक, जिसमें उनके द्वारा जाँच और रिपोर्ट किए गए किसी भी लेखे को कम्पनी के सम्मुख रखा जाना है, के लिए नोटिस पाने और उसमें उपस्थित होने के पात्र होंगे और लेखों के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार कोई विवरण या स्पष्टीकरण दे सकते हैं।
जब लेखा अंततः व्यवस्थित माना जाता है	55	कम्पनी की प्रत्येक लेखा लेखापरीक्षा हो जाने और आम बैठक में अनुमोदित हो जाने पर निर्णायक माना जाता है।
# 14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित		

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

		नोटिस
सदस्यों की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयरों को अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस	56	सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप शेयरों की पात्रता पाने वाले व्यक्तियों को उसके द्वारा दिए गए पते पर उन्हें नाम या उपनाम से संबोधित एक पूर्वदत्त (प्रीपेड) पत्र के या मृतक के प्रतिनिधि के या दिवालिया के समनुदेशिती के या ऐसे किसी विवरण के माध्यम से भारत में उस पते (यदि कोई हो) पर जिसे ऐसी पात्रता का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से आपूरित किया गया था, या जब तक ऐसा पता न दिया गया हो तो ऐसे किसी भी तरीके से जैसा कि मृत्यु या दिवालिया न होने की दशा में दिया जाता, प्रेषित कर एक नोटिस दिया जा सकता है।
		समापन
आस्तियों का वितरण	57	यदि कम्पनी परिसमाप्त होगी और इस तरह सदस्यों में वितरित करने के लिए उपलब्ध आस्तियाँ पूर्ण प्रदत्त पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए अपर्याप्त होंगी, तो ऐसी आस्तियों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि परिसमाप्ति के आरम्भ होने के समय उनके द्वारा क्रमशः धारण किए गए शेयरों पर प्रदत्त पूँजी के अनुपात में यथा संभव निकटतम हानियों को सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा और यदि परिसमाप्ति पर सदस्यों में वितरित करने के लिए उपलब्ध आस्तियाँ प्रदत्त पूंजी के समस्त पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त से अधिक होंगी, तो ऐसी आस्तियाँ सदस्यों के बीच उनके द्वारा क्रमशः लिए गए शेयरों की उनकी मूल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में वितरित की जाएँगी। किन्तु यह खण्ड विशेष शर्तों एवं निबन्धनों पर जारी शेयरों के धारकों के अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।
		गोपनीयता
गोपनीयता खण्ड	58	कोई भी सदस्य कम्पनी के व्यापार के विवरण या कोई अन्य मामला जो व्यापार गोपनीयता या कम्पनी के व्यवसाय आचरण से संबंधित गोपनीय प्रक्रिया की प्रकृति का हो या हो सकता है, और जो निदेशकों की राय में सार्वजनिक करना कम्पनी के सदस्यों के हित में असमीचीन हो, की या किसी सूचना की खोज करवाने के लिए किसी निदेशक की अनुमति के बिना कम्पनी का दौरा या निरीक्षण करने का पात्र नहीं होगा।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

		क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व
निदेशकों एवं अन्य को क्षतिपूर्ति का अधिकार	59	(i) कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी उसके द्वारा की गई किसी भी किसी देयता के विरुद्ध क्षतिपूरित किया जाएगा और सभी लागतें, हानियाँ एवं व्यय (यात्रा व्ययों सहित), जो निदेशक, प्रबन्धक, अधिकारी और कर्मचारी उसके या उनके द्वारा निदेशक, प्रबन्धक, अधिकारी या सेवक के रूप में की गई किसी संविदा, किए गए कार्य या विलेख के तहत या अन्य किसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करने में, कर सकता है, का भुगतान कम्पनी निधि से करना निदेशकों का कर्तव्य होगा तथा वह राशि जिससे ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है तत्काल कम्पनी की सम्पत्ति में ग्रहणाधिकार के रूप में जुड़ेगी और सदस्यों के मध्य अन्य सभी दावों पर प्राथमिक रहेगी। (ii) पूर्वोक्त के अध्यधीन कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक या अधिकारी, किसी भी कार्यवाहियों, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, में बचाव करने में जिसमें निर्णय उसके या उनके पक्ष में दिया गया हो, या जिसमें वह या वे विमुक्त कर दिए गए हों या अधिनियम की धारा 633 के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में जिसमें उसे या उनको न्यायालय द्वारा राहत दी गई हो, में उसके या उनके द्वारा किए गए किन्हीं भी दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूरित होगा।
अन्यों के कृत्यों के लिए अधिकारी उत्तरदायी नहीं	60	कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं या चूकों के लिए या किसी प्राप्ति या अनुरूपता के लिए अन्य कार्य में जुड़ने के लिए या निदेशक द्वारा कम्पनी की ओर से आदेश पर अधिगृहीत किसी सम्पत्ति के हक में किसी अपर्याप्तता या कमी के माध्यम से कम्पनी को हानि या खर्च के लिए या किसी प्रतिभूति में अपर्याप्तता या कमी जिस पर कम्पनी का कोई धन निवेश किया जाएगा के लिए या ऐसे व्यक्ति, कम्पनी या निगम जिसके साथ कोई धन, प्रतिभूति या चल सम्पत्ति सौंपी या जमा की जाएगी के दिवालिया (बैंकरप्ट) या कपटता के कारण उत्पन्न हानि या क्षति के लिए, या किसी भी ऐसी हानि जो उसकी या उनकी ओर से निर्णय की त्रुटि या भूल के कारण घटित हुई हो के लिए या किसी अन्य हानि या क्षति या दुर्भाग्य जो कुछ भी हो, जो उसके या उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या तत्संबंधी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसा उसकी स्वयं की बेईमानी के कारण न हो।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

शेयरों को वापस खरीदना #	60 क	**शेयरों को वापस खरीदना:** संस्था के अंतर्नियमों के किसी अन्य अंतर्नियम में किसी बात के होते हुए भी किंतु अधिनियम की धारा 68,69 एवं 70 के प्रावधानों के अध्यधीन कंपनी अपने पूर्ण/आंशिक प्रदत्त या प्रतिदेय प्राथमिकता वाले शेयरों या ईक्विटी शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर सकती है, खरीद सकती है, पुन: बेच सकती है जैसा कि अधिनियम एवं समय-समय पर जारी नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट है और इसके निपटान पर निधियों में से भुगतान कर सकती है या इस तरीके से जैसा कि अनुमत हो या ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर अधिग्रहण /क्रय के संबंध में, और ऐसे समय पर एक या अधिक किस्तों में जैसा कि बोर्ड अपने विवेक से निर्णय ले और उचित समझे । ऐसे शेयर जो कंपनी द्वारा इस प्रकार वापस खरीदे गए हों, या तो समाप्त या नष्ट कर दिए जाएंगे या पुन: जारी किए गए, जैसा कि अधिनियम या तत्समयक विनयमों के अंतर्गत ऐसी निबंधन व शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्णित किए जाएं और आगे ऐसे शेयरों को जारी करने के लिए सुशासित नियमों एवं विनयमों के अध्यधीन अनुमत हों ।
नई परियोजनाएँ और निवेश में हिस्सेदारी	61	**(अ) नई परियोजनाएं:** राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के अनुमोदन के अध्यधीन कम्पनी अपने बहिर्नियमों के उद्देश्य खण्ड द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को शुरू कर सकती है ।
		(ब) निवेश में हिस्सेदारी: **(1) टिहरी जल विद्युत परिसर (कॉम्पलैक्स) :** 1. (क) टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स (2400 मे.वा.) की लागत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य निम्न आधार पर बाँटी जाएगी- (i) "विद्युत घटक" की इक्विटि का 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (ii) "विद्युत घटक" की इक्विटि का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (iii) "सिंचाई घटक" की समस्त लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा "सिंचाई घटक" से सम्बन्धित कार्य कम्पनी द्वारा निष्पादित किए जाएँगे जिसके लिए तत्संबंधी पूर्ण लागत उपभोक्ता के अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर, उत्तर प्रदेश सरकार कम्पनी को प्रतिवर्ष "सिंचाई घटक" के आवश्यक अनुरक्षण कार्यों के प्रभारों के प्रति भुगतान करेगी जैसा कि कम्पनी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य परस्पर सहमति हुई है।

14.02.2020 को आयोजित हुई ईजीएम में विशेष संकल्प द्वारा सम्मिलित

		(ख) ऊपर संदर्भित "सिंचाई घटक" से तात्पर्य "टिहरी बाँध एवं एचपीपी (1000 मे.वा.) परियोजना" की लागत का 20 प्रतिशत होगा। ऊपर संदर्भित "विद्युत घटक" से तात्पर्य निम्नलिखित की कुल राशि होगा - (i) "टिहरी बाँध एवं एचपीपी" (1000 मे.वा.) की लागत का 80 प्रतिशत। (ii) "कोटेश्वर एचई परियोजना" (400 मे.वा.)' की कुल लागत। (iii) "टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट परियोजना" (1000 मे.वा.) की कुल लागत। (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना पर पहले से ही किए जा चुके व्यय को उत्तर प्रदेश सरकार की लागत हिस्सेदारी के भाग का निर्णय करने के लिए गणना में लिया जाएगा। **अन्य परियोजनाएं :** मामला दर मामला आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार ईक्विटी का अनुपात आंतरिक स्रोतों और/या भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ईक्विटी अंशभागिता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा ।
		लाभ
	62	**(क) टिहरी जल विद्युत कॉम्पलैक्स** टिहरी एचईपी चरण-1 तथा कोटेश्वर एचईपी को सम्मिलित करते हुए टिहरी बांध परियोजना कॉम्पलैक्स से मिल रहे लाभों को निम्नलिखित आधार पर बाँटा जाएगाः (i) समस्त सिंचाई लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को "सिंचाई घटक" की 100 प्रतिशत लागत को उनके द्वारा वहन करने के बदले उपलब्ध होंगे। (ii) कुल उत्पादित विद्युत का 12 प्रतिशत गृह राज्य को नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग के बदले निःशुल्क रायल्टी के रुप में उपलब्ध होगा। (iii) उत्पादित विद्युत के शेष 88 प्रतिशत का 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "विद्युत घटक" में 25 प्रतिशत इक्विटि अंशदान करने के बदले उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित किया जाएगा। यदि इक्विटि अंशदान 25 प्रतिशत से कम है, तो उ.प्र. को विद्युत का आवंटन उनके इक्विटि अंशदान के अनुपात में होगा। (iv) उत्पादित शेष विद्युत, समय-समय पर विकसित मानक फार्मूले के अनुसार, भारत सरकार द्वारा आवंटित की जाने वाली, विक्रय हेतु, केन्द्रीय पूल में रहेगी।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

		(ख) अन्य परियोजनाएं :
		(i) निःशुल्क उत्पादित विद्युत गृह-राज्य को प्रभावी नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटित की जाएगी। (ii) उत्पादित शेष विद्युत इक्विटि अंशदान के अनुपात में और समय-समय पर लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर लागू फार्मूले, विद्युत अधिनियम और नियमों के अनुसार आवंटित की जाएगी। (iii) सिंचाई/पेयजल लाभ, यदि कोई हों, लाभार्थी राज्य(राज्यों) को उनके सिंचाई तथा पेयजल घटक में लागत हिस्सेदारी के अनुपात में, जैसी सहमति होगी, उपलब्ध होंगे।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM